रामदास आठवले
राज्य मंत्री
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
भारत सरकार
नई दिल्ली

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21 (4) के अंतर्गत वर्ष 2023 की रिपोर्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

विषय-वस्तु

अध्याय सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	1-7
2.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए स्थापित संरचना एवं तंत्र	8-15
3.	वर्ष 2023 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों में पुलिस और न्यायालयों द्वारा की गई कार्रवाई	16-23
4.	भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय	24-27
5.	राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए गए उपाय	28-128
	राज्य सरकारें	
	5.1 आंध्र प्रदेश	28-32
	5.2 अरुणाचल प्रदेश	33
	5.3 असम	34-36
	5.4 बिहार	37-40
	5.5 छत्तीसगढ़	41-44
	5.6 गोवा	45-46
	5.7 गुजरात	47-50
	5.8 हरियाणा	51-54
	5.9 हिमाचल प्रदेश	55-57
	5.10 झारखंड	58-61
	5.11 कर्नाटक	62-64
	5.12 केरल	65-68
	5.13 मध्य प्रदेश	69-71
	5.14 महाराष्ट्र	72-74
	5.15 मेघालय	75-76
	5.16 मिजोरम	77
	5.17 ओडिशा	78-81
	5.18 पंजाब	82-84

	5.19 राजस्थान	85-88
	5.20 सिक्किम	89-90
	5.21 तमिलनाडु	91-95
	5.22 तेलंगाना	96-99
	5.23 त्रिपुरा	100-101
	5.24 उत्तर प्रदेश	102-105
	5.25 उत्तराखंड	106-108
	5.26 पश्चिम बंगाल	109-111
	संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	
	5.27 चंडीगढ़ प्रशासन	112-113
	5.28 दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	114-115
	5.29 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	116-118
	5.30 जम्मू-कश्मीर	119-121
	5.31 लद्दाख	122-123
	5.32 लक्षदीप	124
	5.33 पुदुचेरी	125-127
	5.34 अन्य राज्य सरकारें	128
	संलग्नक	
I	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 का उद्धरण	129-138
II - क और ख	वर्ष 2023 के दौरान पुलिस के पास दर्ज मामलों की राज्यवार संख्या और उनके निपटान की संख्या	139-140
III - क और ख	वर्ष 2023 के दौरान न्यायालयों में मामलों की राज्यवार संख्या और उनके निपटान की संख्या	141-142
IV	वर्ष 2023-24 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी केंद्रीय सहायता का ब्यौरा	143

अध्याय - 1

प्रस्तावना

1.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) (जिसे आगे 'पीओए' अधिनियम कहा गया है) 30 जनवरी, 1990 से लागू हुआ था। इस विधान का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़ कर अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सदस्यों के विरूद्ध किए जाने वाले अपराधों को रोकना तथा ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान करना और ऐसे अपराधों के पीड़ितों को सहायता एवं पुनर्वास उपलब्ध कराना है। पीओए अधिनियम समस्त भारत में लागू है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को बेहतर न्याय प्रदान करने की दृष्टि से, पीओए अधिनियम को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (2016 की संख्या 1), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 01.01.2016 को अधिसूचित किया गया था, द्वारा संशोधित किया गया था तथा उसे दिनांक 26.01.2016 से लागू किया गया था। ये संशोधन मुख्यत: कुछेक पूर्ववर्ती अपराधों को पुन: परिभाषित करने एवं उनका दायरा बढ़ाने तथा कई नए अपराधों को शामिल करने, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ किए जाने वाले आईपीसी के ऐसे दण्डनीय अपराधों जिनके लिए 10 वर्ष से कम के कारावास का प्रावधान था, को पीओए अधिनियम के तहत लाने, पीओए अधिनियम के तहत अपराधों के अनन्य विचारण के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करने और मामलों के शीघ्र निपटान हेतु अनन्य विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन करने, अपराधों का सीधा संज्ञान लेने के लिए विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों को शक्तियां प्रदान करने तथा जहां तक संभव हो आरोप-पत्र दाखिल करने की तारीख से दो माह के भीतर मामले के विचारण से संबंधित कार्रवाई को पूरा करने, 'पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों' और शिकायतों को दर्ज करने, गवाहों के बयान रिकार्ड करने, जांच करने और आरोप-पत्र दाखिल करने और इस अधिनियम तथा नियम में विनिर्दिष्ट अन्य किसी कर्तव्य का निर्वहन करने में जानबूझकर लापरवाही

बरतने के संबंध में जोड़े गए अध्याय के संबंध में है। पीओए अधिनियम संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जिन्हें अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत अनुमत्य केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

पीओए अधिनियम के मुख्य उपबंध निम्नानुसार हैं:-

(i) यह अत्याचारों के अपराधों को परिभाषित करता है और इनके लिए दंड का निर्धारण निर्धारित करता है, (धारा 3)

(ii) गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लोक सेवकों द्वारा कर्त्तव्यों के निर्वहन में जानबूझ कर की गई लापरवाही बरतने के लिए दंड, (धारा 4) का प्रावधान किया गया है।

(iii) एक अथवा उससे अधिक जिलों के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना, अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के तीव्र विचारण के लिए सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रावधान किया गया है। इन न्यायालयों को अपराधों का सीधे संज्ञान लेने के लिए शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान है। राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इस अधिनियम के तहत मामलों का निपटान जहां तक संभव हो सके दो माह की अवधि के भीतर सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करें (धारा 14)।

(iv) विशेष न्यायालय अथवा अनन्य विशेष न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतर न्यायालय में अपील करने का (धारा 14क) प्रावधान है।

(v) अनन्य विशेष न्यायालयों और विशेष न्यायालयों में मामले पर विचारण करने के लिए अनन्य विशेष लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करने का प्रावधान है (धारा 15)।

(vi) पीड़ितों और गवाहों के अधिकार (धारा 15क) का प्रावधान है।

(vii) विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा की जाने वाली निवारक कार्रवाई (धारा 17) का प्रावधान है।

(viii) इस अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) अत्याचार पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए उन्हें कानूनी सहायता सहित पर्याप्त सुविधाएं देना।

(ख) अत्याचार पीड़ितों का आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास करना।

(ग) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अभियोजन का पर्यवेक्षण आरम्भ करने अथवा कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना।

(घ) अधिनियम के कार्यान्वयन में सरकार को सहायता देने के लिए समुचित स्तरों पर समितियों का गठन करना।

(ड.) ऐसे "चिन्हित क्षेत्रों" का सीमांकन (जिन्हें सामान्यतः "अत्याचार-आशंकित क्षेत्र" कहा जाता है) जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार होने की आशंका है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करना {धारा 21 (2)}।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा पीओए अधिनियम में फिर से संशोधन किया गया है तथा धारा 18 के बाद धारा "18क" को अंतर्विष्ट किया गया है जो निम्नवत पठनीय है: "18क. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,: -

(क) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी; अथवा

(ख) जांच अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, यदि आवश्यक हो, इस अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया है, तो गिरफ्तारी के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, इस अधिनियम अथवा संहिता के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अलावा कोई भी प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

(2) संहिता की धारा 438 के प्रावधान इस अधिनियम के तहत किसी भी निर्णय अथवा आदेश अथवा किसी न्यायालय के निर्देश के बावजूद किसी मामले पर लागू नहीं होंगे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 17.8.2018 को अधिसूचित किया गया था तथा दिनांक 20.8.2018 को इसे प्रवृत्त किया गया था।

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 दिनांक 31.03.1995 को अधिसूचित की गई थी, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास संबंधी न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए थे। इस नियम के अंतर्गत राहत

और पुनर्वास संबंधी निर्धारित न्यूनतम मानकों को, समय-समय पर, संशोधित किया गया है।

पीओए अधिनियम में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप, पीओए नियम में कुछेक संशोधन करना भी आवश्यक हो गया था। तदनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम, 2016 द्वारा पीओए नियम में आवश्यक संशोधन किए गए थे जिन्हें दिनांक 14.04.2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। ये संशोधन मुख्य रूप से अत्याचार के 47 अपराधों के लिए राहत राशि का प्रावधान करने, अत्याचार के विभिन्न अपराधों के लिए पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली राहत राशि को चरणबद्ध तरीके से युक्तिसंगत बनाने; अपराध के स्वरूप के आधार पर राहत राशि को बढ़ाकर 85000/- रुपए से 825000/- रुपए तक करने, अनुमत्य राहत राशि का सात दिनों के अंदर भुगतान करने, जांच और न्यायालय में आरोप-पत्र दायर करने का कार्य 60 दिनों के भीतर पूरा करने, अभियोजन को समय पर प्रारंभ करने और न्याय दिलवाने के लिए पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों और हकों के लिए राज्य, जिला और उप-मंडलीय स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों द्वारा अपनी बैठकों में स्कीम की आवधिक रूप से समीक्षा करने से संबंधित है।

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अधिसूचित अत्याचार निवारण नियम के मुख्य उपबंध निम्नानुसार हैं:-

(i) अत्याचार के अपराधों के बारे में राज्य सरकारों द्वारा एहतियाती और निवारक उपाय किए जाने के प्रावधान हैं (नियम 3)।

(ii) इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले अपराधों की जांच उप-पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है {नियम 7(1)}।

(iii) जांच और न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल करने की कार्रवाई 60 दिन के भीतर पूरी करने और इसकी रिपोर्ट राज्य के पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस आयुक्त को अग्रेषित करने का प्रावधान है {(नियम 7(2)} **[अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित]**

(iv) पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक के प्रभार में राज्य मुख्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रावधान है (नियम 8)।

(v) (क) राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी को नामित करना (जिसका दर्जा राज्य सरकार के सचिव रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए) और (ख) जिला स्तर पर विशेष अधिकारी को नामित करना (जिसका दर्जा अपर जिला मजिस्ट्रेट के रैंक

से नीचे का नहीं होना चाहिए) ताकि राज्य और जिला स्तर पर क्रमश: चिन्हित अत्याचार-आशंकित क्षेत्रों वाले जिलों में डीएम, पुलिस अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों के कार्यों का समन्वयन किया जा सके (नियम 9 और 10)।

(vi) निर्धारित मानदंडों के अनुसार अत्याचार पीड़ितों को नकद अथवा वस्तु दोनों के रूप में सात दिन के भीतर राहत देने का प्रावधान है (नियम 12(4) और अनुसूची)।

(vii) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कोष से तत्काल धन निकालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आवश्यक प्राधिकार और शक्तियां प्रदान करेंगे ताकि अत्याचार पीड़ितों को समय पर राहत राशि प्रदान की जा सके {नियम 12(4क)}।

(viii) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर की सर्तकता और निगरानी समिति का गठन करने का प्रावधान है जिसकी बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए (नियम 16)

(ix) जिला मजिस्ट्रेट के अधीन जिला स्तर की सर्तकता और निगरानी समिति के गठन का प्रावधान है जिसकी बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होनी चाहिए (नियम 17)।

(x) प्रत्येक तिमाही में सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के अधीन उप-मण्डल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की कम से कम एक बैठक होनी चाहिए (नियम 17 क) ।

पीओए नियम, को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2018 द्वारा पुन: संशोधन किया गया है और इस नियम को दिनांक 27.06.2018 की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचित किया गया था। ये संशोधन मुख्यत: अप्राकृतिक अपराधों के पीड़ितों को राहत देने (आईपीसी 377, क्र.सं. 44, पीओए नियम के संलग्नक 1 के कालम (2), तेजाब फेंक कर गंभीर रूप से घायल करने (आईपीसी 326ख, क्रम सं. 24 पीओए नियम की अनुसूची के संलग्नक-1 के कालम 2), राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति के 25 सदस्यों की सीमा का लोप (एसएलवीएमसी) पीओए नियम के नियम 16(1), मृत्यु के मामले में राहत की व्यवस्था करने, चोट लगने, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अप्राकृतिक अपराधों, तेजाब फेंक कर गंभीर रूप से घायल करने आदि, संपति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित हैं, ये उपबंध किसी भी अन्य कानून के तहत मुआवजे के दावे के किसी अन्य अधिकार के अलावा हैं।

1.2 पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उनके अधीनस्थ प्राधिकारियों (पुलिस और कार्यकारी मजिस्ट्रेट) का होता है। केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार, पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व निम्नानुसार आबंटित किया गया है :-

गृह मंत्रालय

पीएओ अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरूद्ध किए गए दांडिक अपराध।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

इस अधिनियम के तहत आने वाले आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर पीओए अधिनियम (जहां तक यह अनुसूचित जातियों से संबंधित है) का कार्यान्वयन।

जनजातीय कार्य मंत्रालय

इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर पीओए अधिनियम (जहां तक यह अनुसूचित जातियों से संबंधित है) का कार्यान्वयन।

1.3. पीओए अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्ट

अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पीओए अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य सरकारों पर कुछ कर्तव्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी दी गई है जिसका पाठ निम्नानुसार है :-

"21. अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार का कर्तव्य :

(1) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केंद्र सरकार इस निमित्त बनाएं, इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऐसे उपाय करेगी जो आवश्यक हो ।

(2) विशिष्टतः, और पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हो सकेगाः-

(i) ऐसे व्यक्तियों को जिन पर अत्याचार हुआ है, न्याय प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, पर्याप्त सुविधाओं की, जिनके अंतर्गत विधिक सहायता भी है, व्यवस्था करना;

(ii) इस अधिनियम के अधीन अपराध की जांच और विचारण के दौरान अत्याचार के पीड़ित व्यक्ति सहित गवाहों को यात्रा और भरण-पोषण के व्यय की व्यवस्था करना;

(iii) अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था करना;

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारम्भ करने अथवा उनका पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना;

(v) ऐसे समुचित स्तरों पर, जो राज्य सरकार ऐसे उपायों को तैयार करने अथवा उनके कार्यान्वयन के लिए सरकार की सहायता करने के लिए उचित समझे, समितियों की स्थापना करना;

(vi) इस अधिनियम के उपबंधों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए उपायों का सुझाव देने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का, समय-समय पर, सर्वेक्षण करने की व्यवस्था करना;

(vii) उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार होने की आशंका है और ऐसे उपाय करना जिससे ऐसे सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

(3) केंद्रीय सरकार, ऐसे उपाय करेगी जो उप धारा (1) के तहत राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों में समन्वय करने के लिए आवश्यक हो।

(4) केंद्रीय सरकार, प्रत्येक वर्ष, इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में स्वयं द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के संबंध में दोनों सदनों के पटल पर रिपोर्ट रखेगी।

यह रिपोर्ट, कैलेन्डर वर्ष 2023 के लिए, उपर्युक्त धारा 21 की उप धारा (4) के अनुपालन में संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जा रही है।

***

अध्याय - 2

पीओए अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन और निगरानी की संरचना तथा तंत्र

I. विशेष न्यायालय

अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, यथासंशोधित और दिनांक 26.01.2016 को प्रभावी रूप से लागू, की धारा 14 के अनुसार शीघ्र विचारण की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, एक अथवा उससे अधिक जिलों के लिए अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। इसके अलावा उन जिलों में जिनमें अधिनियम के तहत रिकार्ड किए गए मामलों की संख्या कम है, के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का विचारण करने के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी। इन न्यायालयों के पास इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त होगी और राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के अंतर्गत यथासंभव मामलों का निपटान दो माह की अवधि के भीतर किया जा सके, पर्याप्त संख्या में न्यायालयों को स्थापित करेगी।

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने जिला सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिनिर्देशित किया है।

अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत मामलों का शीघ्र विचारण सुनिश्चित करने के लिए 15 राज्यों ने 211 अनन्य विशेष न्यायालय भी स्थापित किए हैं, जैसा की निम्नलिखित तालिका में उल्लेख किया गया है:-

क्र.सं.	राज्य	जिलों में अनन्य विशेष न्यायालयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	01
2.	बिहार	14
3.	छत्तीसगढ	11
4.	गुजरात	16
5.	झारखंड	02
6.	कर्नाटक	08
7.	मध्य प्रदेश	11
8.	महाराष्ट्र	03
9.	ओडिशा	03
10.	पंजाब	02
11.	राजस्थान	31
12.	तमिलनाडु	19
13.	तेलंगाना	10
14.	उत्तर प्रदेश	74
15.	केरल	6
	कुल	**211**

II. विशेष लोक अभियोजक

पीओए अधिनियम की धारा 15 में अनन्य विशेष न्यायालयों और विशेष न्यायालयों में मामलों पर विचारण के लिए अनन्य विशेष लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त अथवा विनिर्दिष्ट करने का प्रावधान है। तदनुसार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र ने जिन्होंने अनन्य विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं, अनन्य विशेष लोक अभियोजकों और विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए हैं।

III. (क) राज्य मुख्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ तथा (ख) एससी/एसटी हेतु विशेष पुलिस थाने स्थापित करना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली के नियम 8 में डीजीपी, एडीजीपी/आईजीपी के प्रभार में राज्य मुख्यालय में अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित करने तथा उन्हें निम्नलिखित उत्तरदायित्व सौंपने के लिए राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है :-

(i) चिन्हित क्षेत्रों में विशेष पुलिस बल की तैनाती की सिफारिश करना और लोक व्यवस्था तथा शांति बनाए रखना और सर्वेक्षण करना;

(ii) अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के कारणों की जांच करना, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में सुरक्षा की भावना बहाल करना;

(iii) चिन्हित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में नोडल तथा विशेष अधिकारियों से संपर्क करना;

(iv) पीओए अधिनियम के अध्याय-IVक के उपबंधों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों के कार्यान्वयन के बारे में नोडल अधिकारी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना;

(v) जन सेवकों की जानबूझकर की गयी लापरवाही के मामलों की जांच करना और अपराधों के अन्वेषण की निगरानी करना;

(vi) अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों की स्थिति की समीक्षा करना; और

(vii) उपर्युक्त के मामले में की गयी कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार/नोडल अधिकारी को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख तथा पुडुचेरी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

पांच राज्यों यथा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए विशेष पुलिस थाने भी स्थापित किए हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**विशेष पुलिस थानों की संख्या**	**जिले का नाम जहां विशेष थाने बनाए गए हैं**
1.	बिहार	40	पटना, नालंदा, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद,

			अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, प. चम्पारण (2), पू. चम्पारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर (2), बाँका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगडिया तथा बेगुसराय।
2.	छत्तीसगढ़	27	रायपुर, दुर्ग, राजनंदगांव, महासुमुद, धामत्री, कबीरधाम, गरियाबंद, बलोद, बलोदा बाजार, बेमेतारा, बिलासपुर, रायगढ़, जंजगीर-चम्पा, कोरबा, मुंगेली, सरगुजा, जसपुर, सूरजपुर, कोरेआ, बलरामपुर, बस्तर, उत्तरी बस्तर (कंकेर), दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), कोंडागांव, सुकमा और नारायणपुर।
3.	झारखंड	24	रांची, गुमला, सिम्डेगा, लोहारडगा, चायबासा, सरायकेला, जमशेदपुर, हजारीबाग, कोडरमा, चैत्रा, गिरिडीह, पलामू, लातेहर, गढ़वा, धनबाद, बोकारो, दुमका, गोड्डा, जामतारा, देवगढ़, साहेबगंज, पाकुर, रामगढ और खुंटी ।
4.	केरल	03	कसरगोड़, वायनाड और पलक्कड़।
5.	मध्य प्रदेश	51	ग्वालियर, शिवपुरी, गूना, अशोकनगर, मुरैना, शियोपुर, भिण्ड, दतिया, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास, शाजपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, मण्डला, डिंडौरी, बालाघाट, रीवा, सतना,

			सिद्धि, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, बैतुल, भोपाल, सिहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, झबुआ, खारगोने, बरवानी, खाण्डवा, बरहानपुर, सागर, दिमोह, पन्ना, छत्तरपुर, टीकमगढ़, सिंगरौली, अलीराजपुर, और अगरमालवा।
	कुल	**145**	

IV नोडल अधिकारी

पीओए नियम के नियम 9 के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारियों के कार्य के समन्वयन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रावधान है।

ऐसे अधिकारियों को आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख तथा पुडुचेरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्त किया गया।

V. "अभिज्ञात क्षेत्र" अथवा "अत्याचार आशंकित क्षेत्रों" का अभिनिर्धारण और तत्परिणामी कदम उठाना

(i) अत्याचार आशंकित क्षेत्रों का अभिनिर्धारण

पीओए नियम के नियम, 3(1)(i) के अनुसार, अत्याचार-आशंकित क्षेत्रों के अभिनिर्धारण का प्रावधान है। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने अत्याचार आशंकित/संवेदनशील क्षेत्रों को अभिनिर्धारित कर लिया है।

(ii) विशेष अधिकारियों की नियुक्ति

पीओए नियम के नियम 10 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक अथवा अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी अन्य अधिकारियों से समन्वय के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र में ऐसे अधिकारी को विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रैंक से नीचे का अधिकारी न हो।

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विशेष अधिकारियों को नामित किया गया है।

VI. राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियां

पीओए अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम के नियम 16 और नियम 17 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों को गठित करने का प्रावधान है।

ऐसी समितियां आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गठित की गई हैं।

VII. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए सुरक्षापायों की निगरानी हेतु संवैधानिक निकाय

क. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित एक निकाय है। अनुच्छेद 338 के खण्ड (5) के निम्नलिखित उपबंधों में आयोग के

कुछ कर्त्तव्य निर्धारित किए गए हैं जो अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचारों के निवारण पर प्रभाव डालते हैं:-

(क) इस संविधान अथवा तत्समय लागू कोई अन्य कानून अथवा सरकारी आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना तथा निगरानी करना और ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना।

(ख) अनुसूचित जातियों के अधिकारों के वंचन और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अत्याचार और सिविल अधिकार संरक्षण विंग है जो अनुसूचित जाति और और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत व्यक्तियों की शिकायत अथवा किसी अन्य स्रोत (मीडिया सहित) से सूचना के प्राप्त होने पर अनुसूचित जातियों से जुड़े मामलों को देखता है। इन विषयों के बारे में मूल्यांकन अध्ययन/सर्वेक्षण भी इस विंग द्वारा किए जाते हैं।

आयोग के अगरतला, अहमदाबाद, बैंगलुरू, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे और तिरुवनन्तपुरम में इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने के विशिष्ट क्षेत्राधिकार सहित क्षेत्रीय/उप - कार्यालय स्थित हैं ।

ख. <u>राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)</u>

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत स्थापित एक निकाय है। अनुच्छेद 338 (क) के खण्ड (5) के निम्नलिखित उपबंधों में आयोग के कुछ कर्त्तव्य निर्धारित किए गए हैं जो अनुसूचित जनजातियों के प्रति अत्याचारों के निवारण पर प्रभाव डालते हैं:-

(क) इस संविधान अथवा तत्समय लागू कोई अन्य कानून अथवा सरकारी आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना और उनकी निगरानी करना और ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना;

(ख) अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के वंचन और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना;

अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति के प्रति अत्याचार की घटना के बारे में सूचना मिलने पर आयोग संबंधित राज्य और जिले के विधि प्रवर्तक और प्रशासनिक तंत्र से संपर्क करता है और घटना के बारे में पता लगाता है और जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी लेता है।

आयोग के भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची और शिलांग में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने के विशिष्ट क्षेत्राधिकार सहित छह क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं ।

***

अध्याय-3

वर्ष 2023 के दौरान आईपीसी के सहसंयोजन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में पुलिस और न्यायालयों द्वारा की गई कार्रवाई।

3.1 अत्याचार

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (2016 का 1) द्वारा यथासंशोधित अधिनियम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरूद्ध किसी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, द्वारा किए अपराधों को विनिर्दिष्ट किया गया है। उपर्युक्त संशोधित अधिनियम में अत्याचार के विभिन्न अपराधों को पुन:परिभाषित किया गया है और अनेक नए अपराधों को शामिल किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 का ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

इस अध्याय में वर्ष 2023 में पीओए अधिनियम के तहत पंजीकृत अपराधों के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़े दिए गए हैं। इन दिए गए सभी आंकड़ों का स्रोत राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय (एमएचए) है।

3.2 वर्ष 2021-2023 के दौरान आईपीसी के सहसंयोजन में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा पंजीकृत मामलों और न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों के अखिल भारतीय आंकड़े

आईपीसी के संयोजन में पीओए अधिनियम के तहत तीन वर्षों वर्ष 2021, 2022 और 2023 के दौरान पंजीकृत मामलों, न्यायालय में लम्बित मामलों और दोषसिद्धि दर के तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं :-

क्र.सं.	मद	2021	2022	2023

1.	वर्ष के दौरान पुलिस के पास पंजीकृत मामलों की संख्या	54085	62601	65532
2.	न्यायालय में लम्बित मामलों की प्रतिशतता	95.9	94.1	93.9
3.	दोषसिद्ध मामलों की प्रतिशतता	32.7	32.4	28.05

3.3 वर्ष 2023 में अत्याचारों के अपराधों का राज्यवार पंजीकरण

आईपीसी के सहसंयोजन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2023 के दौरान आईपीसी से सम्बद्ध पंजीकृत मामलों के राज्यवार ब्यौरे नीचे सारणी 3.1 में दिए गए हैं। सारणी में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2023 में पंजीकृत अत्याचार के मामलों को कुल संख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है।

सारणी - 3.1

आईपीसी के संयोजन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत वर्ष 2023 के दौरान पंजीकृत राज्यवार मामले

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2023 के दौरान पंजीकृत मामलों की संख्या			2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या और कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत (लाख में)	2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या और कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत (लाख में)
		अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7
	राज्य					
1.	उत्तर प्रदेश	12359	2	12361	413.5 (20.7)	11.3 (0.6)
2.	राजस्थान	8322	2403	10725	122.2 (17.8)	92.3(13.5)
3.	मध्य प्रदेश	8227	2840	11067	113.4 (15.6)	153.2(21.1)

4.	बिहार	7063	114	7177	165.6 (15.9)	13.3 (1.3)
5.	ओडिशा	2696	662	3358	71.8 (17.1)	95.9 (22.8)
6.	महाराष्ट्र	2684	717	3401	132.7 (11.8)	105.1 (9.4)
7.	आंध्र प्रदेश	1966	347	2313	84.5 (17.2)	26.3 (5.4)
8.	कर्नाटक	1884	432	2316	104.7 (17.1)	42.4 (7.0)
9.	तेलंगाना	1853	47	1900	54.3 (15.4)	32.9 (9.3)
10.	तमिलनाडु	1652	557	2209	144.3 (20.0)	7.9 (1.1)
11.	हरियाणा	1401	0	1401	51.1(20.2)	Nil
12.	गुजरात	1356	304	1660	40.7 (6.7)	89.1 (14.8)
13.	केरल	1093	180	1273	30.4 (9.1)	4.8 (1.5)
14.	झारखंड	348	164	512	39.8 (12.1)	86.4 (26.2)
15.	छत्तीसगढ	250	335	585	32.7 (12.8)	78.2 (30.6)
16.	पंजाब	79	0	79	88.6 (31.9)	**शून्य**
17.	पश्चिम बंगाल	72	66	138	214.6(23.5)	52.9 (5.8)
18.	उत्तराखंड	40	0	40	18.9 (18.8)	2.9 (2.9)
19.	हिमाचल प्रदेश	23	0	23	17.2 (25.2)	3.9 (5.7)
20.	मिजोरम	3	0	3	0.1 (0.1)	10.3 (94.4)
21.	असम	1	0	1	22.3 (7.2)	38.8 (12.4)
22.	गोवा	0	21	21	0.25 (1.7)	1.4 (10.2)
23.	त्रिपुरा	0	2	2	6.5 (17.8)	11.6 (31.8)
24.	सिक्किम	0	0	0	0.28 (4.6)	2.0 (33.8)
25.	मणिपुर	0	2916	2916	0.97 (3.8)	9.0 (35.1)
26.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	शून्य	9.5 (68.8)
27.	नागालैंड	0	0	0	शून्य	17.1(86.5)
28.	मेघालय	0	0	0	0.17 (0.6)	25.5 (86.1)
	संघ राज्य क्षेत्र					
29.	दिल्ली	42	1	43	28.1 (16.8)	शून्य
30.	पुदुचेरी	4	0	4	9.2 (7.4)	14.9 (11.9)
31.	जम्मू-कश्मीर	2	0	2	शून्य	शून्य
32.	चंडीगढ़	1	0	1	1.9 (18.9)	शून्य
33.	दादरा और नगर हवेली और दमन दीव	0	0	0	शून्य	शून्य
34.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1	1	शून्य	0.28 (7.5)
35.	लद्दाख	0	0	0	शून्य	शून्य
36.	लक्षद्वीप	0	0	0	शून्य	0.61 (94.8)
	कुल	**53421**	**12111**	**65532**	-	-

अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचार

निम्नलिखित सारणी में, तेरह राज्यों को दर्शाया गया है जिनमें अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों से संबंधित कुल मामलों (53421) में से (52556) मामले यानी 98.4% अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2023 के दौरान पंजीकृत मामले संचयी रूप से परिकलित हैं।

क्र.सं.	राज्य	2023 में अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मामले
1.	उत्तर प्रदेश	12359
2.	राजस्थान	8322
3.	मध्य प्रदेश	8227
4.	बिहार	7063
5.	ओडिशा	2696
6.	महाराष्ट्र	2684
7.	आंध्र प्रदेश	1966
8.	कर्नाटक	1884
9.	तेलंगाना	1853
10.	तमिलनाडु	1652
11	हरियाणा	1401
12.	गुजरात	1356
13.	केरल	1093
	कुल	**52556**

अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचार

निम्नलिखित सारणी में तेरह राज्य दर्शाए गए हैं जिनमें अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुल (12111) में से (11971) मामले यानी 98.8% मामले आईपीसी के सहसंयोजन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत वर्ष 2023 के दौरान पंजीकृत मामले संचयी रूप से परिकलित हैं।

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2023 में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलें
1.	मणिपुर	2916
2.	मध्य प्रदेश	2840
3.	राजस्थान	2403
4.	महाराष्ट्र	717
5.	ओडिशा	662
6.	तेलंगाना	557
7.	कर्नाटक	432
8.	आंध्र प्रदेश	347
9.	छत्तीसगढ	335
10.	गुजरात	304
11.	केरल	180
12.	झारखंड	164
13.	बिहार	114
	कुल	**11971**

3.4 वर्ष 2023 में पुलिस द्वारा मामलों की जांच की राज्यवार प्रगति

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत आईपीसी से सम्बद्ध वर्ष 2023 के दौरान पुलिस द्वारा जांच किए गए मामलों की प्रगति सारणी 3.2 में दी गई है।

सारणी - 3.2

आईपीसी के संयोजन में सम्बद्ध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2023 के दौरान पुलिस द्वारा जांच किए गए मामले।

क्र.सं	मद	मामलों की संख्या			
		संख्या		कुल का प्रतिशत	
		अ.जा.	अ.ज.जा	अ.जा.	अ.ज.जा
1.	आगे लाए गए मामलों सहित मामलों की कुल संख्या	70,643	14,815	-	-

2.	उन मामलों की संख्या जिनमें अदालतों में दायर किए गए	45,487	7,186	64.39	48.51
3.	जांच के दौरान सरकार द्वारा वापस लिए गए मामले	0	0	0.00	0.0
4.	सीआरपीसी की धारा 157(1)(ख) के अंतर्गत जांच नहीं किए गए मामले	1	1	0.00	0.01
4.	अन्य राज्य/एजेंसी को अंतरित मामले	34	14	0.05	0.09
5.	जांच स्तर पर न्यायालय द्वारा रद्द/स्थगित मामले	96	11	0.13	0.07
6.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट (अर्थात् असत्य, तथ्य/कानून की गलती, सत्य लेकिन अपर्याप्त साक्ष्य)	10,287	1,740	14.56	11.74
7.	सीआरपीसी की धारा 157(1)(ख) के अंतर्गत जांच नहीं किए गए मामले	14,747	5,863	20.87	39.58

उपर्युक्त से यह पता चलता है कि वर्ष 2023 के दौरान अनुसूचित जातियों से संबंधित 64.39% मामलों में न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किए गए थे और 14.56% मामलों में वर्ष के दौरान अंतिम रिपोर्ट (यथा, मिथ्या, तथ्य/विधि संबंधी गलती, सत्य किंतु अपर्याप्त साक्ष्य) प्रस्तुत की गई थी। इसी तरह वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजातियों से संबंधित 48.51% मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किए गए थे और 11.74% मामलों में वर्ष के दौरान अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

आईपीसी के सहसंयोजन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा पंजीकृत मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और की गई कार्रवाई **<u>संलग्नक-II(क) और (ख)</u>** में दी गई है।

3.5 वर्ष 2023 में न्यायालय द्वारा मामलों के निपटान की राज्यवार प्रगति

वर्ष 2023 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आईपीसी से सम्बद्ध न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों का ब्यौरा सारणी 3.3 में दिया गया है I

सारणी-3.3

आईपीसी के सहसंयोजन में अनुसूचित जाति औरअनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत 2023 के दौरान न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामले।

क्र.सं	मद	मामलों की संख्या			
		संख्या		कुल का %	
		अ.जा.	अ.ज.जा	अ.जा.	अ.ज.जा
1.	**आगे लाए गए मामलों सहित मामलों की कुल संख्या**	**2,79,230**	**47,988**	-	-
2.	न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या	16,171	3,398	05.79	07.08
(क)	दोषसिद्धि में समाप्त मामलों की संख्या	4,703	874	29.08	25.72
(ख)	दोषमुक्ति में समाप्त हुए मामलों की संख्या	11,468	2,524	70.92	74.28
3.	उपशमित/वापस लिए गए/समझौता किए गए/याचिका सौदेबाजी/रद्द किए गए मामलों की संख्या।	256	38	00.09	00.08
4.	न्यायालयों में लंबित कुल मामलों की संख्या	2,62,803	44,552	94.12	92.84

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि वर्ष 2023 के दौरान अनुसूचित जातियों से संबंधित कुल मामलों में से 5.79% मामलों का निपटारा अदालतों द्वारा किया

गया, जिनमें से 29.08% मामलों में दोषसिद्धि हुई। इसी प्रकार, वर्ष 2023 के दौरान अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुल मामलों में से 7.08% मामलों का निपटारा अदालतों द्वारा किया गया, जिनमें से 25.72% मामलों में दोषसिद्धि हुई।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातिवार ब्यौरा **<u>संलग्नक-III (क) और (ख)</u>** में दिया गया है।

अध्याय - 4

भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय

4.1 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

4.1.1 सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम

पीसीआर अधिनियम तथा पीओए अधिनियम का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों के द्वारा किया जाता है। इन दो अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, पीसीआर तथा पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत उन्हें केन्द्रीय सहायता मुख्यत: निम्नलिखित परियोजना हेतु प्रदान की जाती है:-

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ और पुलिस स्टेशनों का कार्यकरण और सुदृढ़ीकरण।
(ii) अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना और कार्यकरण।
(iii) अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास ।
(iv) अंतरजातीय विवाहों के लिए नकद प्रोत्साहन, जहां पति या पत्नी दोनों में से एक अनुसूचित जाति का सदस्य हो।
(v) जागरूकता सृजन।

वित्तीय वर्ष 2023-24 से यह निर्णय लिया गया है कि इस स्कीम का वित्तपोषण पैटर्न इस प्रकार होगा कि राज्य सरकारों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात दिल्ली, जम्मू- कश्मीर एवं पुदुचेरी का कुल व्यय उनके प्रतिबद्ध देयता से अधिक होगा तथा यह व्यय केंद्र एवं राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्यों के मध्य 50:50 के आधार पर साझा की जाएगी तथा बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त करेंगे। वर्ष 2023-24 के दौरान 22 राज्यों तथा 3 संघ राज्यों को जारी 535.30 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **<u>संलग्नक-III</u>** में दिया गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान स्कीम के अंतर्गत बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और व्यय निम्नानुसार है:-

मद राशि (रुपये करोड़ में)

1.	बजट अनुमान	500.00
2.	संशोधित अनुमान	500.00
3.	व्यय	535.30

4.1.2 पीसीआर अधिनियम तथा पीओए अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रति अस्पृश्यता और अत्याचार के अपराधों की रोकथाम करने के लिए तरीकों का पता लगाने हेतु कारगर समन्वयन के लिए गठित समिति

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की थी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपराधों को रोकने और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कारगर कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीकों का पता लगाने हेतु नियमित रूप से बैठकें करें। इस सिफारिश के अनुपालन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अस्पृश्यता और अत्याचारों के अपराधों को रोकने के लिए तरीकों का पता लगाने तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के कारगर समन्वयन के लिए मार्च, 2006 में माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की वर्तमान संरचना इस प्रकार है:-

1.	**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री**	**अध्यक्ष**
2.	जनजातीय कार्य मंत्री	सह-अध्यक्ष
3.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री	विशेष अतिथि
4.	जनजातीय कार्य राज्य मंत्री	विशेष अतिथि
5.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
6.	सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य

7.	सचिव, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय	सदस्य
8.	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
9.	सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	सदस्य
10.	सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	सदस्य
11.	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय (प्रभारी, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो)	सदस्य
12.	अनुसूचित जातियों के दो गैर-सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
13.	अनुसूचित जनजातियों का एक गैर-सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
14.	संयुक्त सचिव (एस.सी.डी.) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य-सचिव

समिति ने अब तक 28 राज्यों और 08 संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा हेतु 27 बैठकें की हैं। 27वीं बैठक 21.11.2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

इन बैठकों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई थी:-

(i) पीओए अधिनियम के तहत अपराधों के त्वरित विचारण हेतु **अनन्य विशेष न्यायालयों** की स्थापना करना,

(ii) पीओए नियम के नियम 16 और 17 के अनुसार, **राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की नियमित बैठकों का आयोजन करना**,

(iii) पीओए अधिनियम की धारा 21(vii) और पीओए नियम के नियम 3(i) के अनुसार **अत्याचार आशंकित क्षेत्रों की पहचान करना**,

(iv) **चूककर्ता लोक अभियोजकों को अनधिसूचित करने के लिए** पीओए नियम के संगत उपबंधों को लागू करना, तथा

(v) उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए, **दोषमुक्ति के सभी मामलों** की समीक्षा करना।

4.1.3 <u>एससी/एसटी पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए)</u>

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज कराने और उन्हें निवारण हेतु जिलों में संबंधित अधिकारी को भेजने में सहायता हेतु अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से एनएचएए की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर पंजीकृत शिकायतों की रियल टाइम निगरानी और स्व-ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है। एनएचएए देश भर में टोल-फ्री नंबर '14566' पर 24/7 उपलब्ध है।

इस हेल्पलाइन का एक और उद्देश्य कानून के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाना है जो भेदभाव को समाप्त करने का उद्देश्य रखते हैं। वर्ष 2023 के अन्त तक तेरह राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों मे राज्य स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं तथा उनका कॉल सेंटर के साथ एकीकृत कार्य केंद्रीय स्तर पर पूरा कर लिया गया है। एनएचएए के लिए कार्यान्वयन तथा अपेक्षित कार्य की पूर्णता शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रक्रियाधीन है।

***

अध्याय - 5

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए गए उपाय

5.1 आंध्र प्रदेश

5.1.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान, कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

जिला कलेक्टरों, निर्वाचित संसद सदस्य/राज्य विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में तथा अन्य सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों से युक्त सभी जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां कार्य कर रही हैं। वर्ष 2023 के दौरान, राज्य के 26 जिलों में 70 बैठकें आयोजित की गई थीं।

सब-डीविजन स्तरीय समितियां

सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सब-डीविजन स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान, राज्य के 26 जिलों के सब-डीविजनों में 87 बैठकों का आयोजन किया गया था।

5.1.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

राज्य स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक (सीआईडी) की अध्यक्षता में एक एससी तथा एसटी संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है और वह अतिरिक्त पुलिस

महानिदेशक (सीआईडी) के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करता है और डीएसपी और अन्य सहायक कर्मचारी उनकी सहायता करते हैं। अत्याचारों के अपराधों से निपटने के लिए अनन्य रूप से सात क्षेत्रों में एक-एक उप-पुलिस अधीक्षक को भी नियुक्त किया गया है।

5.1.3 जांच और आरोप पत्र दाखिल करने की कार्रवाई साठ दिन के भीतर पूरी करना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम 2016 के नियम 7 (2) के अनुसार, 998 मामलों में जांच और आरोप पत्र दाखिल करने की कार्रवाई साठ दिनों के भीतर पूरी की गई और 536 मामलों में जांच और आरोप-पत्र दाखिल करने की कार्रवाई साठ दिनों से अधिक समय में पूरी की गई।

5.1.4 अधिकारी की नियुक्ति

क. नोडल अधिकारी

अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के कार्य का समन्वय करने के लिए पीओए नियमावली के नियम 9 के तहत समाज कल्याण के आयुक्त निदेशक को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

ख. विशेष अधिकारी

प्रकाशम, गुंटूर, पश्चिम गोदावरी, नेल्लोर, विजयनगरम, कुरनूल और कडप्पा नामक सात जिलों के संयुक्त कलेक्टरों को विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है।

5.1.5 अत्याचार आशंकित क्षेत्रों की पहचान

चिन्हित किए गए अत्याचार आशंकित क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	पहचाने गए जिले	जिले के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों को अत्याचार आशंकित क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया
1.	श्रीकाकुलम जिला	पद्दपाडु (v), सानिवाडा (v), अडापका (v), बंटुपल्ली (v)

2.	पश्चिम गोदावरी	एलुरु सब-डिवीजन, जे.आर. गुडेम सब-डिवीजन, पोलावरम सब-डिवीजन, नुज्विद सब-डिवीजन

5.1.6 विशेष न्यायालय एवं अनन्य विशेष न्यायालय

आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति (चित्तूर जिला), गुंटूर, नेल्लोर, प्रकाशम, ओंगोल, कुरनूल, कडपा, मछलीपट्टनम (कृष्णा जिला), विजयवाड़ा, राजमुंदरी (पूर्वी गोदावरी जिला), अनंतपुर, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम और एलुरु (पश्चिम गोदावरी जिला) में 14 विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं।

श्री काकुलम जिले में लक्ष्मीपेटा गांव में एक अनन्य विशेष न्यायालय भी स्थापित किया गया है।

5.1.7 विशेष लोक अभियोजकों और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन

14 विशेष न्यायालयों और 01 अनन्य विशेष न्यायालय में मामलों की सुनवाई करने के लिए विशेष लोक अभियोजकों को नियुक्त किया गया है जिनका विवरण उपर्युक्त पैरा 5.1.6 में दिया गया है।

5.1.8 प्रचार और जागरूकता सृजन

पुलिस अधिकारी प्रायः ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में दलित बस्तियों का दौरा करते हैं और लोगों को उनके अधिकारों और पी.ओ.ए. अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत उपलब्ध सुरक्षा के बारे में शिक्षित करते हैं।

वर्ष 2023 में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आंध्र प्रदेश राज्य में 9 ई-लर्निंग केन्द्र हैं। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से पुलिस कांस्टेबल (पीसी) से लेकर सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) तक के अधिकारियों को वर्ष 2023 में अत्याचार निवारण अधिनियम में प्रशिक्षित किया गया। लगभग 9167 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों प्रशिक्षित किया गया और उन्हें निम्नलिखित दिशानिर्देश/सामग्री दिए गएः

(क) राज्य में सभी एसडीपीओ को जांच अधिकारियों के दिशा-निर्देश जारी किए गए।

(ख) जांच अधिकारी के संदर्भ और मार्गदर्शन के लिए सीपी और एसपी को पीओए अधिनियम पर हैंड बुक "सरकारी आदेश, ज्ञापन और परिचालन निर्देश" उपलब्ध कराई गई है।

वर्ष 2023 के दौरान, 3321 प्रचार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 5301 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को और 14201 अन्य लोगों को जागरूक किया गया।

5.1.9 <u>गवाहों तथा अत्याचार पीड़ितों को यात्रा एवं भरण-पोषण व्यय</u>

पीओए नियम के अनुसार पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों को यात्रा और भरण-पोषण व्यय उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2023 के दौरान सभी 26 जिलों के 171 व्यक्तियों को यात्रा तथा भरण-पोषण व्यय उपलब्ध कराया गया था।

5.1.10 <u>अत्याचार के पीड़ितों का आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास</u>

राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम के नियम 12 (4) के अनुसार, अत्याचार के अपराधों के पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था करती है। वर्ष 2023 के दौरान सभी 26 जिलों में 3048 व्यक्तियों को राहत प्रदान की गई।

5.1.11 <u>आवधिक सर्वेक्षण</u>

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए इस अधिनियम में उपबंधों के संचालन का आवधिक सर्वेक्षण करने का प्रावधान है।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां तिमाही आधार पर इन मुद्दों की समीक्षा करती हैं। क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधीक्षक भी समय-समय पर सर्वेक्षण करते हैं।

5.1.12 <u>अत्याचार के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास</u>

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 12(4) एवं 12(4)(क) के अनुसार, वर्ष 2023 के दौरान अत्याचार के अपराधों के पीड़ित 11 व्यक्तियों को सात दिनों के भीतर राहत और 3037 व्यक्तियों को सात दिनों के बाद में राहत एवं पुनर्वास प्रदान किया गया था।

5.1.13 <u>कानूनी सहायता</u>

जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में सब-डीविजन स्तरीय कानूनी सहायता समिति के माध्यम से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पात्र परिवारों के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध की जाती है। अत्याचार पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु पात्रता संबंधी कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वर्ष 2023 के दौरान सभी 26 जिलों 185 में व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान की गई थी।

5.1.14 <u>दोषमुक्ति के मामलों में उच्चतर न्यायालयों में दायर अपील</u>

वर्ष 2023 के दौरान दोषमुक्ति के 879 मामलों में से 10 मामलों में आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील दायर की गई थी।

5.2 <u>अरुणाचल प्रदेश</u>

5.2.1 <u>राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ</u>

एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय, इटानगर के पुलिस महानिरीक्षक (अपराध), विशेष जांच दल (एसआईटी) के पर्यवेक्षण में कार्य करता है।

5.3 असम

5.3.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन कर दिया गया है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए कुल 35 जिलों में से 21 जिलों में जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों का गठन किया गया है। 2023 में 03 जिला स्तरीय बैठकें आयोजित की गई

सब-डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

अत्याचार निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सब-डीविजन स्तरीय समितियों का गठन नहीं किया गया है।

5.3.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

राज्य स्तर पर पुलिस महानिदेशक के पर्यवेक्षण में एक एससी और एसटी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। इस प्रकोष्ठ में एडीजीपी (सीआईडी), पुलिस महानिरीक्षक(ए), पुलिस उप महानिरीक्षक (रेंज) तथा सभी पुलिस अधीक्षक हैं।

5.3.3 अधिकारियों की नियुक्ति

क. नोडल अधिकारी

निदेशक, अनुसूचित जाति कल्याण, असम को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

ख. **विशेष अधिकारी**

राज्य में अत्याचार-आशंकित क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र को अभिनिर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, पीओए नियम के नियम 10 के अनुसार, प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है।

5.3.4 अत्याचार आशंकित क्षेत्रों की पहचान

राज्य में कोई अत्याचार आशंकित क्षेत्र नहीं है।

5.3.5 विशेष न्यायालय

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत सुनवाई करने हेतु राज्य में 35 विशेष नामित न्यायालय कार्य कर रहे हैं।

5.3.6 विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन

पीओए अधिनियम के अंतर्गत 34 विशेष न्यायालयों में मामलों की पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए हैं।

5.3.7 मामले की जांच और साठ दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर करना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 7 (2) के अनुसार, 2023 में 03 मामलों में जांच और आरोप पत्र दाखिल करने का काम साठ दिनों के भीतर किया गया था और 05 मामलों में जांच और आरोप पत्र दाखिल करने का काम साठ दिनों के बाद किया गया था।

5.3.8 अत्याचार के पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 12 (4) और 12 (4) (क) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को अत्याचार के अपराधों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास सात दिनों के भीतर प्रदान नहीं किया गया था और 2 व्यक्तियों को सात दिनों के बाद राहत प्रदान की गई थी।

5.3.9 कानूनी सहायता

सब-डीविजन स्तरीय विधिक सहायता समिति के माध्यम से अनुसचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पात्र परिवारों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध है।

5.4. बिहार

5.4.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

इस अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति कार्य करती है। वर्ष 2023 के दौरान पीओए अधिनियम और पीओए नियम की समीक्षा करने के लिए राज्य की एक बैठक आयोजित की गई थी

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति कार्य करती है। वर्ष 2023 के दौरान, राज्य के 38 जिलों में पीओए अधिनियम और पीओए नियम के कार्यान्वयन की विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने के लिए 144 बैठकें आयोजित की गई थीं।

सब-डीविजन स्तरीय समितियां

सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सब-डीविजन स्तरीय समितियां गठित कर दी गई हैं। वर्ष 2023 के दौरान पीओए अधिनियम और पीओए नियम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने के लिए राज्य के 101 सब-डीविजनों में 366 बैठकों का आयोजन किया गया।

5.4.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

राज्य स्तर पर, पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग) के प्रभार के अंतर्गत सहायक कर्मचारियों सहित एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है।

5.4.3 विशेष पुलिस थाने

राज्य में 38 जिलों में 40 विशेष पुलिस थाने कार्यरत हैं अर्थात् पटना, नालंदा, रोहताश, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, अरवाल, नवादा, औरंगाबाद, सारन,

सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवोहर, पश्चिम चम्पारन (2), पूर्व चम्पारन, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पुर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर (2), बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया तथा बेगूसराय।

5.4.4 अधिकारियों की नियुक्ति

क. नोडल अधिकारी

सचिव, गृह विभाग नोडल अधिकारी हैं जो अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बैठकें आयोजित करते हैं।

ख. अत्याचार आशंकित क्षेत्रों वाले जिलों के लिए विशेष अधिकारी

पीओए अधिनियम के प्रावधानों और इसके अंतर्गत अधिसूचित नियम के कार्यान्वयन के लिए जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक अथवा अन्य उत्तरदायी अधिकारियों के कार्यों को समन्वित करने के लिए, प्रत्येक जिले में, अपर जिला मजिस्ट्रेट को विशेष अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

5.4.5 जांच और आरोप-पत्र दाखिल करने की कार्रवाई साठ दिन के भीतर पूरी करना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 7(2) के अनुसार 2023 में 1481 प्रकरणों में जांच एवं आरोप पत्र दाखिल करने का कार्य साठ दिनों की निर्धारित सीमा के भीतर तथा 3635 प्रकरणों में जांच एवं प्राथमिकी दर्ज करने का कार्य आरोप-पत्र साठ दिनों के बाद दाखिल किए गए।

5.4.6 अत्याचार आशंकित क्षेत्रों की पहचान

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की दृष्टि से राज्य में 34 जिलों को संवेदनशील अभिनिर्धारित किया है। ये जिले पटना, नालंदा, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेतिया, बाधा, मोतिहारी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी,

समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, जमुई और अररिया हैं।

5.4.7 विशेष न्यायालय एवं अनन्य विशेष न्यायालय

पीओए अधिनियम के अंतर्गत नालंदा, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, औरंगाबाद, सीवान, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारन, मधुबनी, सहरसा (कोसी), सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और खगरिया जिले में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, नालंदा, रोहतास, नवादा, सारन, गोपालगंज, पूर्वी चंपारन, (मोतीहारी), वैशाली, दरभंगा तथा समस्तीपुर जिलों में चौदह अनन्य विशेष न्यायालय भी कार्य कर रहे हैं ।

5.4.8 विशेष लोक अभियोजकों और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन

पीओए अधिनियम के अंतर्गत मामलों में पैरवी करने के लिए 23 विशेष न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजक और अनन्य तथा 14 अनन्य विशेष न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर दिए गए हैं।

5.4.9 प्रचार

जागरुकता का सृजन करने के लिए जिला और ब्लॉक-स्तरों पर होर्डिंग लगाए गए हैं तथा प्रचार/जागरुकता हेतु सभी जिलों के लिए निधियां आबंटित की गई हैं।

लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पीओए अधिनियम तथा पीओए नियम की प्रतियां पंचायत, जिला और राज्य स्तर पर वितरित की गई थी।

सभी पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, ब्लॉक कल्याण अधिकारी और विकास मित्रों को जागरूक किया गया।

5.4.10 अत्याचार के पीड़ितों का आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास

राज्य सरकार पीओए नियम के नियम 12(4) के अनुसार अत्याचार के अपराधों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करती है। वर्ष 2023 के दौरान, सभी 38 जिलों में 8998 व्यक्तियों को राहत प्रदान की गई।

5.4.11 गवाहों और अत्याचार पीड़ितों को यात्रा और भरण पोषण व्यय

राज्य सरकार, जांच अधिकारी के समक्ष तथा न्यायालय में विचारण के समय उपस्थित होने के लिए जांच अवधि के दौरान गवाहों के लिए यात्रा और भरण पोषण व्यय प्रदान करती है। वर्ष 2023 के दौरान, सभी 38 जिलों में 886 व्यक्तियों को गवाहों और अत्याचार के पीड़ितों को यात्रा और भरण-पोषण व्यय प्रदान किया गया था।

5.4.12 अत्याचार के पीड़ितों को राहत तथा पुनर्वास

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 12(4) एवं 12(4)(क) के अनुसार अत्याचार के पीड़ित 829 व्यक्तियों को सात दिनों के भीतर राहत और 8069 व्यक्तियों को सात दिनों के बाद में राहत एवं पुनर्वास प्रदान किया गया था।

5.4.13 कानूनी सहायता

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध है। वर्ष 2023 के दौरान किसी भी व्यक्ति को कानूनी सहायता प्राप्त नहीं की।

5.4.14 रिहाई के मामलों में उच्चतर न्यायालयों में दायर अपील

वर्ष 2023 के दौरान, 1347 मामलों में से, जो दोषमुक्त हो गए, दोषमुक्त होने वालों के विरुद्ध उच्चतर न्यायालयों में 02 मामले में अपील दायर की गई थी।

5.5. छत्तीसगढ़

5.5.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राज्य स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान, कोई राज्य स्तरीय बैठक आयोजित नहीं की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की अध्यक्षता जिला कलेक्टरों द्वारा की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा हेतु 33 जिलों में 87 बैठकें आयोजित की गईं थी।

सब-डीविजन स्तरीय समितियां

सब-डीविजनल मजिस्ट्रेट/उप-कलेक्टर की अध्यक्षता में सब-डीविजन स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। वर्ष 2023 के दौरान 29 जिलों में, 109 सब-डीविजनों में 157 बैठकें आयोजित की गई थीं।

5.5.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

राज्य स्तर पर, पुलिस मुख्यालय में एक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ सहायक कर्मचारियों के साथ पुलिस उप-महानिरीक्षक के प्रभार में कार्य कर रहा है।

5.5.3 विशेष थाने

27 जिलों अर्थात् रायपुर, दुर्ग, राजनन्दगांव, महासमंद, धमतारी, कबीरधाम, गरियाबंद, बालोड, बालोडा बाजार, बेमेतरा, बिलासपुर, रायगढ़, जंजगीर-चम्पा, कोरबा,

मुंगेली, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, बस्तर, कांकेड़, दांतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर शेष छह जिलों को छोड़कर में विशेष पुलिस थाने काम कर रहे हैं।

5.5.4 मामले की जांच और साठ दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम, 2016 के नियम 7 (2) के अनुसार, 391 मामलों में साठ दिनों के भीतर जांच की गई तथा आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और 234 मामलों में जांच और आरोप पत्र दाखिल करने का काम साठ दिनों के बाद किया गया था।

5.5.5 अत्याचार के पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम, 2016 के नियम 12 (4) और 12 (4) (ए) के अनुसार, अत्याचार के अपराधों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास सात दिनों के भीतर प्रदान किया गया था और 442 व्यक्तियों को सात दिनों के बाद राहत प्रदान की गई थी।

5.5.6 अधिकारियों की नियुक्ति

क. नोडल अधिकारी

सचिव, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग, नोडल अधिकारी हैं, जो समय-समय पर पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए बैठकें आयोजित करते हैं।

ख. विशेष अधिकारी

पीओए नियम के नियम 10 के अनुसार 23 जिलों में जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सहायक आयुक्त को विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है।

5.5.7 अत्याचार आशंकित क्षेत्रों की पहचान

पहचान किए गए अत्याचार आशंकित क्षेत्रों का ब्योरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	चिन्हित जिला	जिले के भीतर विशिष्ट क्षेत्र जिनकी पहचान अत्याचार आशंकित क्षेत्रों के रूप में की गई
1.	दुर्ग जिला	14
2.	जांजगीर-चांपा जिला	11
	कुल	**25**

5.5.8 विशेष न्यायालय तथा अनन्य विशेष न्यायालय

छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कोरबा, कोरिया (बैकुंठपुर), रायगढ़, रायपुर, राजनंदगांव और सरगुजा (अंबिकापुर) नामक जिलों में 11 अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। रामानुजगंज, बेमेतरा, दशिन, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, कबीरधाम (कवर्धा), कोंडागांव, मुंगेली, सूरजपुर और उत्तर बस्तर कांकेर के 12 जिलों बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर मुख्यालय में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अत्याचार के अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए जिला सत्र न्यायालयों को 12 विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया गया है।

5.5.9 विशेष लोक अभियोजकों और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की विशिष्टता

विशेष अदालतों में मामलों के संचालन के लिए 18 विशेष अदालतों में 05 विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए हैं। 06 अनन्य विशेष अदालतों में 18 अनन्य लोक अभियोजक नियुक्त किए गए हैं।

गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम, जांगिड़-चांपा, सूरजपुर, जशपुर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और गौरेला-पेंड्रा, खैरागढ़, मोहला, शक्ति और मनेंद्रगढ़ जिलों में कोई विशेष न्यायालय और विशेष लोक अभियोजक नहीं हैं।

5.5.10 आवधिक सर्वेक्षण

वर्ष 2023 के दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग और कबीरधाम जिलों में 18 आवधिक सर्वेक्षण किए गए।

5.5.11 कानूनी सहायता

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को उन मामलों में विधिक सहायता प्रदान की जाती है जो भूमि विवादों, अत्याचार के

अपराधों से संबंधित हैं और जहां विचारण सत्र न्यायालयों में लंबित है। वर्ष 2023 के दौरान 33 ज़िलों में ऐसे 582 व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान की गई।

5.5.12 गवाहों और अत्याचार पीड़ितों को यात्रा और भरण पोषण व्यय

राज्य सरकार, जांच अधिकारी के समक्ष तथा न्यायालय में विचारण के समय उपस्थित होने के लिए जांच अवधि के दौरान गवाहों के लिए यात्रा और भरण पोषण व्यय प्रदान करती है। वर्ष 2023 के दौरान, 33 जिलों में 1466 व्यक्तियों को यात्रा और भरण पोषण व्यय प्रदान किया गया।

5.5.13 राहत और पुनर्वास

वर्ष 2023 के दौरान, 33 ज़िलों में 584 अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान किया गया।

5.5.14 प्रचार और जागरूकता सृजन

वर्ष 2023 के दौरान 71 प्रचार/जागरूकता कार्यक्रमों में 139 पुलिस अधिकारियों और 2880 अन्य अधिकारियों को जागरूक किया गया।

5.5.15 उच्च न्यायालयों में उन मामलों में दायर अपीलें जिनमें दोषमुक्ति का फैसला हुआ

वर्ष 2023 के दौरान, कुल 173 मामलों में से दोषमुक्ति के फैसले के विरुद्ध 11 मामलों में उच्च न्यायालयों में अपीलें दायर की गईं।

5.6 गोवा

5.6.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अत्याचार निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित की गई है। इस समिति की 01 बैठक वर्ष 2023 में आयोजित की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अत्याचारों के मामलों की समीक्षा करने के लिए उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां कार्य कर रही हैं। वर्ष 2023 के दौरान, 05 बैठकें आयोजित हुई थीं।

सब-डीविजन स्तरीय समितियां

सब-डीविजनल मजिस्ट्रेट/उपाधीक्षक की अध्यक्षता में सब-डीविजन स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान समिति की ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

5.6.2 मामले की जांच और साठ दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 7(2) के अनुसार, 2 मामलों में जांच और आरोप पत्र साठ दिनों के भीतर दाखिल किया गया था और 3 मामलों में जांच और आरोप पत्र दाखिल करने का काम साठ दिनों के बाद किया गया था।

5.6.3 अधिकारियों की नियुक्ति

नोडल अधिकारी

अपर सचिव, गोवा सरकार नोडल अधिकारी हैं और जो अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के कार्य का समन्वय करते हैं।

5.6.4 अत्याचार आशंकित क्षेत्रों की पहचान

ऐसे किसी अत्याचार आशंकित क्षेत्र का अभिनिर्धारण नहीं किया गया है जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों पर अत्याचार अपराधों के होने की आशंका है।

5.6.5 विशेष न्यायालय

राज्य सरकार ने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों के शीघ्र विचारण के लिए उत्तरी जिला, पणजी और दक्षिणी जिला, मडगांव स्थित जिला एवं सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया है।

5.6.6 विशेष लोक अभियोजकों और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन

उत्तरी गोवा जिले (05) और दक्षिणी गोवा जिले (05) में विशेष न्यायालयों में अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए 09 विशेष लोक अभियोजनकों को नियुक्त किया गया।

5.6.7 अधिकारियों का संवेदीकरण

सभी सब-डीविजनल पुलिस अधिकारियों (एसडीपीओ) और पुलिस स्टेशनों के प्रभारियों को अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूक किया गया।

5.6.8 कानूनी सहायता

राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को बगैर किसी आर्थिक मानदंड के मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई है। वर्ष 2023 के दौरान अनुसूचित जाति के 1 व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान की गई।

5.7 गुजरात

5.7.1 समितियां

क. उच्च स्तरीय समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति अत्याचार निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, संसद और राज्य विधान मंडल के कुछ सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस समिति के सदस्य हैं। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

ख. राज्य स्तरीय समिति

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति तीनों सतर्कता दस्तों के सतर्कता अधिकारियों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। इस समिति में गृह सचिव, विधि सचिव और विशेष पुलिस महानिरीक्षक आदि शामिल हैं। वर्ष 2022 के दौरान, राज्य स्तरीय समिति की 03 बैठकें 05.01.2023, 10.07.2023 और 01.11.2023 को आयोजित की गईं।

ग. जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

जिला स्तर पर, संबंधित जिले के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति अत्याचार निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। इस समिति में जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष, जिला विकास अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, सरकारी लोक अभियोजक, संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य और संबंधित जिलों के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। वर्ष 2023 के दौरान, समितियों की 149 बैठकें आयोजित की गईं।

घ. प्रांत स्तरीय समिति

सब-डीविजनल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में अत्याचार निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक प्रांत में प्रांत स्तरीय समितियां गठित

की गई हैं। प्रांत सामाजिक न्याय समितियों के अध्यक्ष, लोक अभियोजक, तालुका के पुलिस निरीक्षक और उप निरीक्षक समिति के सदस्य हैं। वर्ष 2023 के दौरान, समिति ने 252 सब-डीविजनों में 486 बैठकें आयोजित की गईं।

ङ. नगर स्तरीय समिति

पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में, पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए नगर स्तरीय समितियां भी गठित की गई हैं। सरकारी लोक अभियोजक, नगर आयुक्त और नगर निगम के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य इन समितियों के सदस्य हैं। वर्ष 2023 के दौरान, समिति की 22 बैठकें हुईं।

5.7.2 राज्य स्तरीय एससी और एसटी संरक्षण प्रकोष्ठ

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नियंत्रण में काम कर रहा है तथा इसकी सहायता के लिए एक पुलिस उप महानिरीक्षक, एक पुलिस उप अधीक्षक और अन्य सहायक कर्मचारी हैं।

जिला स्तर पर इसका नेतृत्व एक पुलिस उपाधीक्षक तथा सहायक स्टाफ करता है। ऐसे 46 पुलिस उपाधीक्षक 36 जिलों तथा 4 पुलिस आयुक्तालयों में कार्य देखते हैं।

5.7.3 मामले की जांच और साठ दिनों के भीतर आरोप-पत्र दाखिल करना

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 7(2) के अनुसार, 1047 मामलों में जांच की गई और 60 दिन के भीतर आरोप-पत्र दाखिल किए गए थे और 289 मामलों में जांच और आरोप-पत्र 60 दिन के बाद दाखिल किए गए थे।

5.7.4 अत्याचार के पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम, 2016 के नियम 12(4) और 12(4)(क) के अनुसार, अत्याचार के अपराधों से पीड़ित 1421 व्यक्तियों को 7 दिन के भीतर राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराई गई।

5.7.5 विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय

सभी जिलों में सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। इसके अलावा, अहमदाबाद (ग्रामीण), आनंद, बनासकांठा (पालनपुर), भरूच, भावनगर, गांधीनगर, जूनागढ़, जामनगर, कच्छ (भुज), मेहसाणा, पाटन, राजकोट, सूरत, सुरेंद्रनगर, वडोदरा और अहमदाबाद (शहर) जिलों में 16 विशिष्ट विशेष अदालतें हैं।

अहमदाबाद (ग्रामीण, अमरेली, आनंद, अरवल्ली (मोदासा), बनासकांठा (पालनपुर), भरूच, भावनगर, दाहोद, गांधीनगर, गिर-सोमनाथ, जूनागढ़, कच्छ-भुज, खेड़ा (नंदियाड), महेसाणा, नर्मदा, नवसारी, पंचमहल (गोधरा) पाटन, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा (हिम्मतनगर), सूरत, सुरेंद्रनगर, तापी (व्यारा), वडोदरा, वलसाड, सिटी अहमदाबाद, देवभूमि द्वारका और मोरबी में 29 विशेष न्यायालय पीओए अधिनियम के अंतर्गत मामलों को अनन्य रूप से निपटाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं।

5.7.6 लोक अभियोजकों और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों पर कार्रवाई करने के लिए 29 विशेष न्यायालयों में 29 विशेष लोक अभियोजक तथा 16 अनन्य विशेष न्यायालयों में 16 अनन्य विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर दिए गए हैं।

5.7.7 अधिकारियों की नियुक्ति

क. राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी

पीओए नियम के नियम 9 के अनुसार प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता नोडल अधिकारी हैं।

ख. विशेष अधिकारी

चिन्हित अत्याचार आशंकित क्षेत्रों में पीओए नियम, 1995 के नियम 10 के अनुसार तीन क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी नामित कर दिए गए हैं।

5.7.8 अत्याचार आशंकित क्षेत्रों की पहचान

11 जिलों - मेहसाणा, अहमदाबाद ग्रामीण, जूनागढ़, कच्छ, बनासकांठा, खेड़ा, अमरेली, राजकोट ग्रामीण, सुरेंद्रनगर, वडोदरा ग्रामीण, भरूच को अनुसूचित जाति के लिए अत्याचार प्रभावित क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है।

4 जिलों - वलसाड, वडोदरा ग्रामीण, सूरत ग्रामीण और भरूच को अनुसूचित जनजातियों के लिए अत्याचार संभावित क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है।

5.7.9 प्रचार और जागरूकता सृजन

अत्याचार निवारण अधिनियम के उपबधों के व्यापक प्रचार के लिए प्राधिकरणों, गांव पंचायतों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वैच्छिक संगठनों में गुजराती और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित पुस्तिकाएं बांटी गई है।

वर्ष 2023 के दौरान, 2 प्रचार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और 6806 पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों को जागरूक किया गया था।

5.7.10 गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के प्रयास

गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक एजेंसियों तथा इस फील्ड से सम्बद्ध प्रमुख नेताओं को जिला शिविर, राज्य स्तरीय सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से जागरुकता केद्रों की स्थापना की है और राज्य में प्रत्येक जागरूकता केंद्र को 15000/- रूपए प्रदान किए हैं।

5.7.11 आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास

राज्य सरकार अत्याचार अपराधों के पीड़ितों को निर्धारित राहत राशि प्रदान करती है। वर्ष 2023 के दौरान, 33 ज़िलों में अनुसूचित जाति के 1421 व्यक्तियों को राहत राशि दी गई।

5.7.12 रिहाई के मामलों में उच्चतर न्यायालयों में दायर अपील

वर्ष 2023 के दौरान, बरी होने वाले दोषमुक्ति के 1215 मामलों में से 148 मामलों में उच्चतर न्यायालयों में अपील दायर की गई थी।

5.8 हरियाणा

5.8.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति गठित की गई है। वर्ष 2023 के दौरान, इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति कार्य करती है। वर्ष 2023 के दौरान, समितियों ने 22 जिलों में 56 बैठकें कीं।

सब-डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

सब-डीविजन स्तर पर, सब-डीविजनल मजिस्ट्रेट (सिविल) की अध्यक्षता में एक सब-डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति काम करती है। ये समितियां पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करती हैं। वर्ष 2023 के दौरान 22 जिलों में समिति की 64 बैठकें आयोजित हुई।

5.8.2 राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक के सीधे पर्यवेक्षण के अंतर्गत जाति-आधारित अत्याचारों के विरूद्ध अपराधों पर कार्रवाई करने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। प्रत्येक जिले में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचारों के मामलों की शीघ्र जांच सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण के अंतर्गत एक विशेष प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है।

5.8.3 मामले की जांच और साठ दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली, 2016 के नियम 7(2) के अनुसार, 381 मामलों में जांच की गई और

60 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल किए गए थे और 524 मामलों में जांच और 60 दिन के बाद आरोप पत्र दाखिल किए गए थे।

5.8.4 अत्याचार के पीड़ितों का राहत और पुनर्वास

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 12(4) एवं 12(4)(ए) के अनुसार, वर्ष 2023 के लिए अत्याचार अपराधों के पीड़ितों में से 19 व्यक्तियों को सात दिनों के भीतर राहत एवं पुनर्वास प्रदान किया गया तथा 1040 व्यक्तियों को सात दिनों के बाद राहत प्रदान की गई।

5.8.5 अत्याचार आशंकित क्षेत्रों की पहचान

हरियाणा राज्य में कोई अत्याचार आशंकित क्षेत्र अभिनिर्धारित नहीं किया गया है।

5.8.6 अधिकारियों की नियुक्ति

क. राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी

हरियाणा सरकार में सचिव स्तर के एक अधिकारी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 9 के अनुसार नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

ख. विशेष अधिकारी

अत्याचार निवारण नियम, 1995 के नियम 10 के अनुसार राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को विशेष अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

5.8.7 विशेष न्यायालय

पीओए अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में अपराधों के विचारण के लिए प्रत्येक अपर सत्र न्यायाधीश को विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है।

5.8.8 विशेष लोक अभियोजकों और विशेष विशेष लोक अभियोजकों की विनिर्देशन

राज्य सरकार ने पीओए अधिनियम के अंतर्गत मामलों के विचारण हेतु प्रत्येक सत्र न्यायालय में नियुक्त लोक अभियोजक को विशेष लोक अभियोजक नामित किया है।

5.8.9 आवधिक सर्वेक्षण

वर्ष 2023 के दौरान, हरियाणा राज्य में कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया।

5.8.10 प्रचार और जागरूकता सृजन

वर्ष 2023 के दौरान, 412 प्रचार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और अधिनियम के प्रावधानों को न्यायालयों और पुलिस स्टेशनों आदि जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है और 1316 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को भी जागरूक किया गया है और 23945 अन्य को जागरूक किया गया है।

5.8.11 राहत संबंधी उपाय

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) यथासंशोधित नियमावली 1995 के नियम 12(4)के अनुसार, अत्याचार पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान 1059 व्यक्तियों को राहत राशि दी गई थी।

5.8.12 कानूनी सहायता

अस्पृश्यता की कुप्रथा, मंदिरों, कुओं एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश पर रोक, महिलाओं से संबंधित विवादों और सेवाओं में आरक्षण सुनिश्चित करने के मामलों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कानूनी सहायता दी जाती है। गवाहों पर हुए व्यय तथा न्यायालय शुल्क की अदायगी के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान 15 लाभार्थियों को ऐसी कानूनी सहायता दी गई।

5.8.13 गवाहों और अत्याचारों के पीड़ितों के लिए यात्रा और भरण पोषण व्यय

पीओए नियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार अत्याचार पीड़ितों और गवाहों को यात्रा भत्ता और भरण-पोषण व्यय प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान ऐसा कोई व्यय प्रदान नहीं किया गया।

5.8.14 दोषमुक्ति वाले मामलों में उच्चतर न्यायालयों में दायर की गई अपीलें

वर्ष 2023 के दौरान, दोषमुक्ति वाले, 242 मामलों के विरुद्ध अपील दायर की गई थी क्योंकि उच्चतर न्यायालयों में अनुपयुक्त मामलों में अपील दायर नहीं की गई थी।

5.9 हिमाचल प्रदेश

5.9.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति अत्याचार निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां भी कार्य कर रही हैं। वर्ष 2023 के दौरान 12 ज़िलों में 29 बैठकें हुई थी।

सब-डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

सब-डीविजनल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 12 जिलों यथा में सब-डीविजन स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। वर्ष 2023 के दौरान ऐसी 19 *बैठकें हुई थीं।*

5.9.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अत्याचारों के अपराधों की निगरानी करने के लिए राज्य सीआईडी मुख्यालय, शिमला में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ पुलिस महानिदेशक के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है।

5.9.3 मामले की जांच और साठ दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 7(2) के अनुसार, 83 मामलों में जांच और 60 दिन के भीतर आरोप-पत्र दाखिल किए गए थे और 68 मामलों में जांच की गई और 60 दिन के बाद आरोप-पत्र दाखिल किए गए थे।

5.9.4 अधिकारी की नियुक्ति

क. नोडल अधिकारी

निदेशक, ईएसओएमएसए, हिमाचल प्रदेश सरकार को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

ख. विशेष अधिकारी

अत्याचार निवारण नियम, 1995 के नियम 10 के तहत संबंधित जिलों के सभी अपर जिला मजिस्ट्रेटों को विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

5.9.5 अत्याचार आशंकित क्षेत्रों की पहचान

राज्य में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे अत्याचार आशंकित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया हो।

5.9.6 विशेष न्यायालय

राज्य के प्रत्येक जिले में जिला और सत्र न्यायाधीशों के सभी न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़, सुंदरनगर, सरकाघाट, एडीजी, रोहड़ू तथा एलडी कोर्ट को भी पीओए अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है।

शिमला, मंडी, कांगड़ा स्थित पारिवारिक न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश तथा धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण कांगड़ा के अध्यक्ष को भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है।

5.9.7 विशेष लोक अभियोजक

जिला और सत्र न्यायाधीशों के न्यायालय से संबद्ध सभी लोक अभियोजकों (जिला अटॉर्नी) को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर अत्याचार निवारण अधिनियम

के तहत अपराध संबंधी मामलों के संचालन हेतु विशेष लोक अभियोजकों के रूप में नामित किया गया है।

5.9.8 प्रचार

राज्य सरकार ने आम जनता में जागरूकता पैदा करने और विभिन्न सरकारी कार्यकर्ताओं को जागरूक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: जिला/सब-डीविजन/तहसील/ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर 65 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, जहां 2023 में 67 पुलिस अधिकारियों, 40 अन्य अधिकारियों और 7034 प्रतिभागियों को जागरूक किया गया।

5.9.9 कानूनी सहायता

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों,महिलाओं एवं बच्चों को हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करता है। वर्ष 2023 के दौरान, 5 लोगों को कानूनी सहायता और अन्य सुविधाएँ प्रदान की गईं।

5.9.10 गवाहों और अत्याचार पीड़ितों को यात्रा और भरण-पोषण व्यय

राज्य सरकार ने दिनांक 12.3.2018 की अधिसूचना के अनुसार अत्याचार पीड़ितों और उनके आश्रितों/गवाहों के लिए जाँच अधिकारी या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट से मिलने हेतु यात्रा एवं भरण-पोषण व्यय तथा परिवहन सुविधाओं की दरें पुनः अधिसूचित की हैं। वर्ष 2023 में, किसी भी व्यक्ति को ऐसा व्यय प्रदान नहीं किया गया।

5.9.11 राहत संबंधी उपाय

वर्ष 2023 के दौरान 364 अत्याचार पीड़ितों को निर्धारित मानकों के अनुसार राहत प्रदान की गई थी।

5.9.12 दोषमुक्ति के मामलों में उच्चतर न्यायालयों में दायर अपील

वर्ष 2023 के दौरान 143 मामलों में दोषमुक्ति हुई तथा इनमें से 09 मामलों में दोषमुक्ति के विरूद्ध उच्चतर न्यायालयों में अपील दायर की गई थीं।

5.10. झारखंड

5.10.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी समिति कार्य करती है। वर्ष 2023 के दौरान, राज्य के 26 जिलों में 48 बैठकें हुई थीं।

सब-डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

सब-डीविजनल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 1 जिले में सब-डीविजन स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

5.10.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जांच की निगरानी करने के लिए पुलिस विभाग की अपराध जांच शाखा के अंतर्गत एक विशेष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। यह प्रकोष्ठ पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी, झारखंड के अंतर्गत कार्य करता है। प्रत्येक जिले में एक विशेष प्रकोष्ठ भी गठित किया गया है।

5.10.3 अधिकारियों की नियुक्ति

क. नोडल अधिकारी

आयुक्त, जनजातीय कल्याण विभाग, झारखंड सरकार को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

**ख.	विशेष अधिकारी**

प्रत्येक जिले के अपर कलेक्टर/अपर जिलाधिकारियों को विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है

5.10.4 मामले की जांच और साठ दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 7(2) के अनुसार, 95 मामलों में साठ दिन के भीतर जांच-पड़ताल और आरोप-पत्र दायर किए गए थे और 167 मामलों में साठ दिन के बाद जांच-पड़ताल और आरोप-पत्र दायर किए गए थे।

5.10.5 अत्याचार के पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम 2016 के नियम 12(4) और 12(4)(क) के अनुसार, वर्ष 2023 के दौरान अत्याचार के अपराधों से पीड़ित 0 व्यक्तियों को 7 दिन के भीतर राहत और पुनर्वास दिया गया और 239 व्यक्तियों को 7 दिन के बाद राहत प्रदान की गई।

5.10.6 विशेष पुलिस थाने

राज्य के 24 जिलों अर्थात् रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, चाईबासा, जमशेदपुर, सरायकेला, पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, धुमका, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ में 24 विशेष पुलिस स्टेशन कार्यरत हैं।

5.10.7 अत्याचार आशंकित क्षेत्रों की पहचान

गढ़वा, खूंटी, पलामू, रांची, रेल धनबाद और सरायकेला जिलों की अत्याचार आशंकित क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है।

5.10.8 विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय

24 जिलों अर्थात् गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, पलामू, लातेहार, गढ़वा, बोकारो, दुमका, गोड्डा, जंतारा,

साहेबगंज, पाकुड़, रामगढ़, रांची, खूंटी, देवघर, हजारीबाग, धनबाग, पश्चिम सिंहभूम में विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा, अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए दुमका और देवघर जिलों में दो अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

5.10.9 <u>विशेष लोक अभियोजकों और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन</u>

पीओए अधिनियम के तहत मामलों के संचालन के लिए 24 विशेष न्यायालयों के लिए 24 विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए हैं और 2 अनन्य विशेष अदालतों के लिए 2 अनन्य विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए हैं।

5.10.10 <u>आवधिक सर्वेक्षण</u>

झारखंड राज्य में कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया।

5.10.11 <u>प्रचार करना तथा अधिकारियों का जागरूक करना</u>

जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए 7 जिलों में 69 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 274 पुलिस अधिकारियों और 348 अन्य अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूक किया गया।

5.9.12 <u>अत्याचार पीड़ितों के लिए राहत</u>

वर्ष 2023 के दौरान, 262 अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान किया गया था।

5.10.13 <u>कानूनी सहायता</u>

अत्याचार पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की गई थीं ताकि वे न्याय प्राप्त कर सकें। वर्ष 2023 के दौरान 277 व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान की गई।

5.10.14 गवाहों और अत्याचार के पीड़ितों को यात्रा और भरण पोषण व्यय

पीओए नियम 1995 के अनुसार अत्याचार के पीड़ितों और गवाहों को यात्रा और भरण-पोषण व्यय प्रदान किया गया था। वर्ष 2023 के दौरान 149 व्यक्तियों को यात्रा और भरण-पोषण खर्च प्रदान किया गया था।

5.10.15 दोषमुक्ति के मामलों में उच्चतर न्यायालयों में दायर अपील

वर्ष 2023 के दौरान 4048 मामलों में दोषमुक्ति हुई; तथा उच्चतर न्यायालयों में 03 अपीलें दायर की गईं।

5.11 कर्नाटक

5.11.1 समिति

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की 02 बैठकें आयोजित की गईं।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए कार्य कर रही हैं। वर्ष 2023 के दौरान, 31 जिलों में 113 बैठकें सम्पन्न हुई थीं।

सब-डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सब-डीविजनल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सब-डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित कर दी गई हैं। वर्ष 2023 के दौरान, 53 सब-डीविजनों में 185 बैठकें की गई थीं।

5.11.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

सिविल अधिकार प्रवर्त्तन प्रकोष्ठ 1975 से कार्यरत है। इसके बाद, इस प्रकोष्ठ को सिविल अधिकार प्रवर्त्तन निदेशालय के रूप में पुनर्नामित किया गया है तथा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इसके प्रमुख होते हैं। निदेशालय में पुलिस अधीक्षक के प्रभार में मैसूर, मंगलौर, बेलगाम, देवांगरे, गुलबर्गा और बंगलौर स्थित 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कोलार,तुमकुर, बागलकोट तथा बीजापुर जिले में चार जिला यूनिट उप-पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में भी कार्य कर रहे हैं।

5.11.3 अधिकारियों की नियुक्ति

क. **नोडल अधिकारी**

प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

ख. विशेष अधिकारी

सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों को अत्याचार निवारण नियमावली के नियम 10 के अंतर्गत विशेष अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है।

5.11.4 मामले की जांच और साठ दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल किया जाना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 7 (2) के अनुसार, 1505 मामलों में जांच और आरोप पत्र साठ दिनों के भीतर दाखिल किया गया और वर्ष 2023 में 391 मामलों में जांच और आरोप पत्र साठ दिनों के बाद दाखिल किया गया।

5.11.5 अत्याचार के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम 2016 के नियम 12(4) और 12(4)(क) के अनुसार, अत्याचार के अपराधों से पीड़ित 1163 व्यक्तियों को सात दिन के भीतर राहत उपलब्ध करायी गई थी और 1089 व्यक्तियों को सात दिन के बाद राहत प्रदान की गई।

5.11.6 विशेष न्यायालय तथा अनन्य विशेष न्यायालय

पीओए अधिनियम के तहत मामलों पर शीघ्र विचारण के प्रयोजन से 23 जिलों में जिला सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया गया है।

इसके अलावा,इस अधिनियम के तहत दर्ज आपराधिक मामलों के विचारण के लिए आठ अनन्य विशेष न्यायालय बेलगावी, बिजापुर, कालाबुर्गी, कोलार, मैसुरू, रायचूर, रामनगर, और तुमकुर जिलों में आठ अनन्य विशेष न्यायालय काम कर रहे हैं।

5.11.7 विशेष लोक अभियोजकों और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन

इकतीस नामित विशेष न्यायालयों में मुकदमों के संचालन के लिए आठ विशेष लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट किए गए थे। इसके अतिरिक्त, आठ अनन्य विशेष

न्यायालयों में मुकदमों के संचालन के लिए आठ अनन्य विशेष लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट किए गए थे।

5.11.8 प्रचार तथा अधिकारियों का संवेदीकरण

वर्ष 2023 के दौरान, 762 प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जहां 3221 पुलिस अधिकारियों तथा 80362 अन्य अधिकारियों को भी संवेदनशील किया गया था।

5.11.9 कानूनी सहायता

कर्नाटक विधिक सेवा प्राधिकरण उन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों,जिनकी वार्षिक आय 25000 रुपए से कम है,सहित कमजोर वर्गों के लिए नि:शुल्क सेवाएं प्रदान करता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तालुका विधिक सेवा सेमिति के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सहायता और सलाह प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2023 के दौरान, 1629 व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई।

5.11.10 गवाहों और अत्याचार के पीड़ितों को यात्रा और भरण-पोषण व्यय

अत्याचार पीड़ितों तथा गवाहों को यात्रा और भरण-पोषण व्यय प्रदान किया गया था। वर्ष 2023 के दौरान, 950 व्यक्तियों को इस प्रकार का व्यय उपलब्ध कराया गया था।

5.11.11 आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास

वर्ष 202 के दौरान, अत्याचारों से पीड़ित 3897 व्यक्तियों ने राहत तथा पुनर्वास सुविधा प्राप्त की थी ।

5.11.12 दोषमुक्ति के मामलों में उच्चतर न्यायालयों में दायर अपील

वर्ष 2023 के दौरान, 426 मामले दोषमुक्ति में समाप्त हुए जिनमें से 01 मामलों में दोषमुक्ति के विरुद्ध उच्चतर न्यायालयों में अपीलें दायर की गई थीं।

5.12 केरल

5.12.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति कार्यरत है। वर्ष 2023 के दौरान दिनांक 31.07.2023 को राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति कार्यरत है। वर्ष 2023 के दौरान समिति की 14 जिलों में 49 बैठकें हुई थीं ।

सब-डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सब-डीविजनल मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में सब-डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों का भी गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान, 01 बैठक का आयोजन किया गया।

5.12.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

अपर महानिदेशक पुलिस के पर्यवेक्षण में राज्य पुलिस मुख्यालय स्तर में एक विशेष प्रकोष्ठ कार्यरत है और यह प्रकोष्ठ इस अधिनियम के तहत मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई की निगरानी रखता है। यह प्रकोष्ठ अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज हुए मामलों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं को भी मॉनीटर करता है।

5.12.3 जांच तथा 60 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली, 2016 के नियम 7 (2) के अनुसार, वर्ष 2023 के दौरान 634 मामलों

में साठ दिन के भीतर जांच-पड़ताल और आरोप-पत्र दायर किए गए थे और 426 मामलों में साठ दिन के बाद जांच-पड़ताल और आरोप-पत्र दायर किए गए थे।

5.12.4 <u>अत्याचार पीड़ितों के लिए राहत और उनका पुनर्वास</u>

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 12 (4) और 12 (4)(क) के अनुसार, वर्ष 2023 के दौरान अत्याचार के पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास 7 दिन के भीतर प्रदान किया गया था और 478 व्यक्तियों को 7 दिन के बाद प्रदान किया गया था।

5.12.5 <u>अधिकारियों की नियुक्ति</u>

क. <u>नोडल अधिकारी</u>

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

ख. <u>विशेष अधिकारी</u>

पीओए नियम के नियम 10 के अनुसार, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को कासरगोड जिले के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है।

5.12.6 <u>अत्याचार आशंकित क्षेत्रों की पहचान</u>

तिरुवनंतपुरम, पथानामथिट्टा, एर्नाकुलम और वायनाड जिलों में क्षेत्रों की अत्याचार आशंकित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है।

5.12.7 <u>विशेष न्यायालय</u>

तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, वायनाड, मलप्पुरम, त्रिशूर और पलक्कड़ जिलों में छह अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

शेष जिलों में, पीओए अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है।

5.12.8 विशेष लोक अभियोजकों और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन

विशेष न्यायालयों में मामलों पर विचारण करने के लिए विशेष लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

5.12.9 विशेष पुलिस थाने

कासरगोड, वयनाड और पलक्कड़ जिलों में तीन विशेष पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं।

5.12.10 आवधिक सर्वेक्षण

वर्ष 2023 के दौरान, कोटायम, पलक्कड़, और कन्नूर जिलों में 226 सर्वेक्षण किए गए थे।

5.12.11 प्रचार करना तथा अधिकारियों को जागरूक करना

वर्ष 2023 के दौरान, 1549 प्रचार/जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और 1453 पुलिस अधिकारियों एवं 10214 अन्य अधिकारियों का जागरूक किया गया था।

5.11.12 कानूनी सहायता

वर्ष 2023 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 1166 व्यक्तियों ने कानूनी सहायता का लाभ उठाया।

5.12.13 गवाहों और अत्याचार पीड़ितों को यात्रा और भरण-पोषण व्यय

अत्याचार पीड़ितों तथा गवाहों को यात्रा एवं दैनिक भत्ता, भरण-पोषणतथा परिवहन व्यय उपलब्ध कराया गया था। वर्ष 2023 के दौरान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 82 व्यक्तियों को ऐसे व्यय के लिए राशि प्रदान की गई थी।

5.12.14 आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास

वर्ष 2023 के दौरान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 404 अत्याचार पीड़ितों को राहत प्रदान की गई थी।

5.12.15 दोषमुक्ति के मामलों में उच्चतर न्यायालयों में दायर अपील

वर्ष 2023 के दौरान, 814 मामले दोषमुक्ति में समाप्त हुए थे, इनमें से दोषमुक्ति के विरुद्ध 17 मामलों में उच्चतर न्यायालयों **में** अपीलें दायर की गई थीं।

5.13 मध्य प्रदेश

5.13.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

जिला स्तर पर, प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान, समिति की 52 जिलों में 100 बैठकें आयोजित की गई थी।

5.13.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

अपर पुलिस महानिदेशक के नियंत्रणाधीन एक प्रकोष्ठ पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। इस प्रकोष्ठ के अंतर्गत 51 अनुसूचित जाति कल्याण (अनुसूचित जाति कल्याण थाना) के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, अत्याचार के अपराधों के मामलों को रजिस्टर करना अपेक्षित है।

5.13.3 जांच करना तथा आरोप पत्र दाखिल करने की कार्रवाई 60 दिन के भीतर पूरी करना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम, 2016 की नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार, 6663 मामलों में, 60 दिन के भीतर जांच-पड़ताल और आरोप-पत्र दायर किए गए थे तथा 4171 मामलों में 60 दिन के बाद जांच-पड़ताल और आरोप-पत्र दायर किए गए थे।

5.13.4 अधिकारियों की नियुक्ति

क. राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी

पीओए नियम के नियम 9 के तहत एक सचिव स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

ख. **<u>विशेष अधिकारी</u>**

26 जिलों के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को अत्याचार निवारण नियम के नियम 10 के तहत विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

5.13.5 <u>विशेष पुलिस थाने</u>

निवाड़ी जिले को छोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों की जांच के लिए 51 जिलों में विशेष पुलिस स्टेशन कार्यरत हैं।

5.13.6 <u>अत्याचार आशंकित क्षेत्रों की पहचान</u>

मध्य प्रदेश में 26 जिलों, 65 पुलिस स्टेशनों और 89 क्षेत्रों/गांवों को अत्याचार आशंकित क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है।

5.13.7 <u>विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय</u>

अलीराजपुर, अनुपपुर, बुरहानपुर, डिंडोरी, सिंगरौली और उमरिया में छह विशेष अदालतों के अलावा, पीओए अधिनियम की धारा 14 के अनुसार 32 विशेष अदालतें बालाघाट, बड़वानी, भिंड, भोपाल, दमोह, दतिया, देवास, धार, गुना, हरदा, नर्मदापुरम, इंदौर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, मंडला, मंदसोर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रीवा, शिओर, सिवनी, शहडोल, सतना, शाजापुर, शिओर, सीधी, टीकमगढ़, उज्जैन और पश्चिम निमाड़ (मंडलेश्वर) में काम कर रही है।

11 अनन्य विशेष न्यायालय बैतूल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, नरसिंहपुर, रतलाम, सागर, शिवपुरी और विदिशा में कार्य कर रहे हैं।

5.13.8 <u>विशेष लोक अभियोजकों और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन</u>

पीओए अधिनियम के तहत मामलों के संचालन के लिए 43 विशेष न्यायालयों में 47 विशेष लोक अभियोजकों को नामित किया गया है।

इसी प्रकार, पीओए अधिनियम के तहत मामलों के संचालन के लिए 14 अनन्य विशेष न्यायालयों में 21 अनन्य विशेष लोक अभियोजकों को नामित किया गया है।

5.13.9 आवधिक सर्वेक्षण

वर्ष 2023 के दौरान, 52 जिलों में कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया।

5.13.10 अत्याचार के पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम, 2016 के नियम 12(4) एवं 12(4)(क) के अनुसार, अत्याचार के 1286 पीड़ित को सात दिनों के भीतर राहत एवं पुनर्वास प्रदान किया गया है तथा 9548 व्यक्तियों को सात दिनों के बाद प्रदान किया गया है।

5.13.11 जागरूकता सृजन

वर्ष 2023 के दौरान, 551 प्रचार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और इसमें 320 पुलिस अधिकारियों तथा 116 अन्य अधिकारियों को भी जागरूक बनाया गया था।

5.13.12 गवाहों और अत्याचार पीड़ितों के लिए यात्रा और भरण-पोषण व्यय

पीओए अधिनियम की धारा 21{(2) (ii)} और पीओए नियम;च के नियम 11 के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकार अत्याचार अपराध के पीड़ितों और गवाहों को यात्रा व भरण-पोषण भत्ता प्रदान करती है। वर्ष 2023 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को कोई व्यय प्रदान नहीं किया गया।

5.13.13 अत्याचार के पीड़ितों के लिए राहत और उनका पुनर्वास

वर्ष 2023 के दौरान 10834 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान किया गया।

5.13.14 दोषमुक्ति के मामलों में उच्चतर न्यायालयों में दायर अपील

वर्ष 2023 के दौरान, 3663 मामले दोषमुक्ति में समाप्त हो गए और दोषमुक्त होने के खिलाफ 203 मामलों में उच्चतर न्यायालयों में अपील दायर की गई।

5.14 महाराष्ट्र

5.14.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी पीओए समिति अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में कार्यरत हैं और पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान, 36 जिलों में 371 जिला स्तरीय बैठकें आयोजित की गई थी।

सब डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सब डीविजन मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सब डीविजन सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन भी किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान, 36 जिलों में 278 बैठकें आयोजित की गई थी।

5.14.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

विशेष पुलिस महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण में राज्य पुलिस मुख्यालय में एक विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक, हैड कांस्टेबल तथा पुलिस कांस्टेबल आदि उनके सहायक स्टाफ में हैं। पीसीआर यूनिट भी राज्य के 36 जिलों में कार्यरत हैं।

विशेष मशीनरी भी सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग में कार्यरत है। सभी जिलों में विशेष जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लिए पीओए अधिनियम और पीओए नियम के उपबंधों के अनुसार अत्याचार के पीड़ितों का पुनर्वास करने के लिए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना अपेक्षित है।

5.14.3 जांच करने तथा आरोप पत्र दाखिल करने की कार्रवाई साठ दिन के भीतर पूरी करना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम, 2016 के नियम 7 (2) के अनुसार, वर्ष 2023 के लिए 1758 मामलों में, जांच-पड़ताल एवं आरोप-पत्र साठ दिन के भीतर दायर किए गए थे और 1726 मामलों में जांच-पड़ताल और आरोप-पत्र साठ दिनों के बाद दायर किए गए थे।

5.14.4 नोडल अधिकारी

पीओए नियम के नियम 9 के तहत प्रधान सचिव स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

5.14.5 अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान

महाराष्ट्र राज्य में किसी भी अत्याचार प्रवण क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है।

5.14.6 विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय

प्रत्येक जिले में, सत्र न्यायालय को पीओए अधिनियम के तहत अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया है। नागपुर, औरंगाबाद और मुंबई (ठाणे) में तीन अनन्य विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं।

5.14.7 प्रचार के उपाय

वर्ष 2023 के दौरान, 4695 प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए थे। 14448 पुलिस अधिकारियों और 36423 अन्य अधिकारियों को भी जागरूक किया गया था।

5.14.8 कानूनी सहायता

वर्ष 2023 के दौरान, 2713 अत्याचार पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान की गई थी।

5.14.9 राहत उपाय

वर्ष 2023 के दौरान, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 3124 अत्याचार पीड़ितों को राहत प्रदान की गई थी।

5.14.10 अत्याचार पीड़ितों को राहत एवं उनका पुनर्वास

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 12(4) और 12(4)(क) के अनुसार, अत्याचारों के अपराधों के पीड़ितों में से 57 व्यक्तियों को सात दिन के भीतर राहत एवं पुनर्वास सुविधा प्रदान की गई तथा 2144 व्यक्तियों को सात दिन के बाद प्रदान की गई थी।

5.14.11 गवाहों और अत्याचार पीड़ितों को यात्रा और भरण-पोषण व्यय

पीओए नियम के नियम 11 के प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकार गवाहों तथा अत्याचारों के अपराधों के पीड़ितों के लिए यात्रा तथा भरण-पोषण भत्ता प्रदान करती है। वर्ष 2023 के दौरान, किसी भी सदस्य को यात्रा और भरण-पोषण व्यय प्रदान नहीं किया गया।

5.14.12 आवधिक सर्वेक्षण

वर्ष 2023 के दौरान, 36 जिलों में कोई भी आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया।

5.14.13 दोषमुक्ति के मामलों में उच्चतर न्यायालयों में दायर अपीलें

वर्ष 2023 के दौरान, 1350 मामले दोषमुक्ति के साथ समाप्त हुए थे और दोषमुक्ति के विरुद्ध 07 अपीलें दायर की गई थीं।

5.15 मेघालय

5.15.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्य के सभी जिलों में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं।

सब डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

सब डीविजन मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सभी सब डीविजनों में सब डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन भी किया गया है।

5.15.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

राज्य पुलिस मुख्यालय में पुलिस उपमहानिरीक्षक (सीआईडी) की देखरेख में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जिसमें विशेष पुलिस अधीक्षक (सीआईडी) सहित सहायक स्टाफ तैनात है।

5.15.3 अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान

किसी क्षेत्र की अत्याचार प्रवण क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं की गई है जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचार किए जाने की संभावना हो।

5.15.4 विशेष न्यायालय

प्रत्येक जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय (पूर्वी खासी हिल्स जिले को छोड़कर) को पीओए अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

5.16 मिजोरम

5.16.1 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ, राज्य पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (सीआईडी) के पर्यवेक्षण के अधीन स्थापित किया गया है और इस प्रकोष्ठ में विशेष पुलिस अधीक्षक (सीआईडी) और पुलिस अधीक्षक (आइजोल) सहित सहायक स्टाफ तैनात है।

5.16.2 विशेष न्यायालय

आइजोल के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश के न्यायालय को समस्त आइजोल, न्यायिक जिले, जिसमें आइजोल, कोलासिब, मामित, चम्फई और सेरछिप प्रशासनिक जिले शामिल हैं, के लिए पीओए अधिनियम के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

इसके अलावा, लुंगलेई के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को समस्त जिला न्यायालय जिसमें लुंगलेई, लांगतलाई और सिआहा शामिल हैं, के लिए पीओए अधिनियम के अंतर्गत मामलों मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

5.17 ओडिशा

5.17.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए कोई राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित नहीं की गई है। अतः वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

सभी जिलों में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां भी पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए कार्यरत हैं। वर्ष 2023 के दौरान, 30 जिलों में 14 बैठकें हुई थी।

सब डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

30 जिलों में सब डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं। वर्ष 2023 के दौरान, सब डीविजन समितियों की 01 बैठक हुई थी।

5.17.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

ओडिशा सरकार ने पीओए नियम के नियम 8 के अनुसार कटक स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ (एचआरपीसी) की प्रभार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ गठित किया है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचारों से निपटने के लिए जिला मानवाधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ का भी गठन किया है।

5.17.3 जांच और आरोप पत्र दाखिल करने की कार्रवाई 60 दिन के भीतर पूरी करना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 7(2) के अनुसार, वर्ष 2023 के लिए 624 मामलों में

जांच-पड़ताल और आरोप-पत्र 60 दिन के भीतर दायर किए गए थे और 1019 मामलों में जांच-पड़ताल और आरोप-पत्र 60 दिन के बाद दायर किए गए थे।

5.17.4 नोडल अधिकारी

ओडिशा सरकार के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, एम एंड बीसी कल्याण विभाग की आयुक्त-सह-सचिव श्रीमती रूपा रोशन साहू को पीओए नियम के नियम 9 के अनुसार नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

5.17.5 अत्याचार पीड़ितों हेतु राहत और पुनर्वास

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 12(4) और 12(4)(क) के अनुसार, अत्याचार के अपराधों से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को 7 दिनों के भीतर राहत और पुनर्वास प्रदान नहीं किया गया तथा 2647 व्यक्तियों को 7 दिन के पश्चात राहत और पुनर्वास प्रदान किया गया।

5.17.6 अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान

राज्य के गृह विभाग ने निम्नलिखित क्षेत्रों की राज्य में अत्याचार प्रवण क्षेत्रों के रूप में पहचान की है:

क्र. सं.	जिला	जिले के भीतर ऐसे विशिष्ट क्षेत्र जिनकी, "अत्याचार" प्रवण क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है
1.	कटक	नियाली, बदम्बा, गोबिंदपुर पीएस क्षेत्र
2.	अंगुल	अंगुल सदर, अंगुल टाउन और बंटाला पीएस क्षेत्र
3.	बालासोर	बस्ता, भोगराई, जलेश्वर टाउन, सहदेवखुंटा, सिंगला, कामरदा, सोरा, खंतापारा, नीलगिरि पीएस क्षेत्र
4.	भद्रक	भद्रक ग्रामीण (सदर), बंसदा, बासुदेवपुर, भंडारीपोखरी, धामनगर पीएस क्षेत्र
5.	बोलंगीर	पटनागढ़ से कांटाबांजी उपखंड क्षेत्र

6.	बौध	बौध, बौनसुनी, मनामुंडा, कंटामल, पुरुनाकाटक, हरभंगा पीएस क्षेत्र
7.	ढेंकानल	ढेंकानल शहर, भुवना, काम-नगर, सदर और परजंग पीएस क्षेत्र
8.	कालाहांडी	धर्मगढ़, जूनागढ़, जयपटना, कोकसरा, भवानीपटना सदर, केहांव और भवानीपटना टाउन पीएस क्षेत्र
9.	कंधमाल	संपूर्ण जिला
10.	केंद्रपाड़ा	पट्टामुंडाई से मार्साघई पीएस क्षेत्र
11.	क्योंझर	क्योंझर टाउन, सदर, पटना, घासीपुरा, घाटगांव, आनंदपुर, चंपुआ, जोडा, बारबिल पीएस क्षेत्र
12.	मयूरभंज	बारिपदा टाउन, खुंटिया, उदाला, ठाकुरमुंडा, करंजिया, झारपोखरी, रसगोविंदपुर और बदासाही पीएस क्षेत्र
13.	नुआपाड़ा	सिनापाली ब्लॉक क्षेत्र
14.	पुरी	सदर, टाउन, सीबीच, चंदनपुर, सत्यबाड़ी, ब्रह्महिरी, डेलांग, कनास, पिपिली, गोप, बलंगा, निमापारा, कृष्णप्रसाद पीएस क्षेत्र
15.	रायगढ़	काशीपुर पीएस क्षेत्र
16.	सुबर्णपुर	सोनपुर, बिरमहाराजपुर पीएस क्षेत्र

5.17.7 विशेष न्यायालय तथा अनन्य विशेष न्यायालय

पीओए अधिनियम के अधीन अत्याचार के मामलों की सुनवाई के लिए, 102 जिला तथा सत्र न्यायालयों और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया गया है।

कटक, बालासोर तथा बोलनगीर में 3 अनन्य विशेष न्यायालय गठित किए गए हैं।

5.17.8 विशेष लोक अभियोजकों/अनन्य विशेष लोक अभियोजकों को नामित करना

वर्ष 2023 तक, विशेष न्यायालयों में मामलों की पैरवी हेतु 46 विशेष लोक अभियोजकों को नामित किया गया था और शेष न्यायालयों में लोक

अभियोजक/विशेष लोक अभियोजकों द्वारा मामलों की पैरवी की गई थी। पीओए अधिनियम के तहत अत्याचार के अपराधों के मामलों की पैरवी हेतु तीन अनन्य विशेष न्यायालयों में तीन अनन्य विशेष लोक अभियोजकों को भी नामित किया गया था।

5.17.9 <u>प्रचार और जागरुकता सृजन</u>

वर्ष 2023 के दौरान कोई प्रचार एवं जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया।

5.17.10 <u>आवधिक सर्वेक्षण</u>

वर्ष 2023 के दौरान भद्रक जिले में 45 आवधिक सर्वेक्षण किए गए।

5.17.11 <u>कानूनी सहायता</u>

वर्ष 2023 के दौरान, अनुसूचित जाति के 1866 और अनुसूचित जनजाति के 1331 सदस्यों को कानूनी सहायता दी गई थी।

5.17.12 <u>राहत संबंधी उपाय</u>

वर्ष 2023 के दौरान, 2647 अत्याचार पीड़ितों को राहत प्रदान की गई।

5.17.13 <u>गवाहों और अत्याचार पीड़ितों को यात्रा और भरण पोषण व्यय</u>

वर्ष 2023 के दौरान, 591 व्यक्तियों को यात्रा तथा भरण-पोषण भत्ता दिया गया था।

5.17.14 <u>दोषमुक्ति के मामलों में उच्चतर न्यायालयों में दायर अपीलें</u>

वर्ष 2023 के दौरान, दोषमुक्ति के 326 मामलों में से किसी भी मामले में उच्चतर न्यायालयों में दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील दायर की गई।

5.18 पंजाब

5.18.1 समितियां

राज्य स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जिला स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समिति

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति जिला स्तर पर पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान, 23 जिलों में 18 बैठकें आयोजित की गई थी।

सब डीविजन स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समिति

पंजाब के सभी जिलों में सब डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों का भी गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान, सब डीविजन समितियों की कोई बैठक नहीं हुई।

5.18.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

निदेशक, अन्वेषण ब्यूरो (अपर महानिदेशक पुलिस (अपराध)) के नियंत्रण में सहायक स्टाफ सहित पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक विशेष एससी/एसटी प्रकोष्ठ मुख्यालय में कार्यरत है। जिला स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचारों के अपराधों के मामलों की समीक्षा करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ भी कार्यरत हैं।

5.18.3 अत्याचार पीडितों हेतु राहत और पुनर्वास

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 12(4) और 12(4)(क) के अनुसार, अत्याचार के अपराधों

से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को सात दिनों के भीतर राहत और पुनर्वास प्रदान नहीं किया गया तथा 57 व्यक्तियों को सात दिन के पश्चात राहत और पुनर्वास प्रदान किया गया।

5.18.4 <u>60 दिन के भीतर जांच-पड़ताल और आरोप-पत्र दायर करना</u>

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 7(2) के अनुसार, 16 मामलों में 60 दिन के भीतर जांच-पड़ताल पूरी करके आरोप-पत्र दायर किया गया और 48 मामलों में 60 दिन के बाद जांच-पड़ताल पूरी करके आरोप-पत्र दायर किया गया।

5.18.5 <u>विशेष न्यायालय तथा अनन्य विशेष न्यायालय</u>

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अधीन अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं। सभी जिलों में 21 विशेष न्यायालय कार्यरत हैं।

लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब में दो अनन्य विशेष न्यायालय भी स्थापित किए गए हैं।

5.18.6 <u>विशेष लोक अभियोजक नामित करना</u>

पंजाब राज्य के सभी सरकारी अभियोजकों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के जिलों की विशेष न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के उद्देश्य से विशेष सरकारी अभियोजक के रूप में नामित किया गया है।

5.18.7 <u>अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान</u>

राज्य में कोई अत्याचार प्रवण क्षेत्र नहीं है।

5.18.8 <u>प्रचार</u>

वर्ष 2023 के दौरान, खंड/जिला/राज्य स्तर पर संगोष्ठियां तथा सामूहिक भोज आयोजित किए गए थे। पीओए अधिनियम के प्रावधानों को बताने के लिए 1138 संगोष्ठियां आयोजित की गई थीं।

नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों, उप-निरीक्षकों और कांस्टेबलों के बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान पीओए अधिनियम की जानकारी प्रदान की गई है। पीओए अधिनियम, पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर में संचालित सभी पदोन्नति पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम का भी एक अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त, पंजाब पुलिस अकादमी में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए पीओए अधिनियम पर विशेष कार्यशालाएं भी आयोजित की गई हैं।

5.18.9 <u>कानूनी सहायता</u>

98पंजाब विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के नियम 12 के अंतर्गत, अनुसूचित जाति के सदस्यों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। 2023 में 13 लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई।

5.18.10 <u>गवाहों और अत्याचार पीड़ितों के लिए यात्रा और भरण-पोषण व्यय</u>

पीओए नियम के अनुसार अत्याचार पीड़ितों और गवाहों के लिए यात्रा और भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है।

5.18.11 <u>अत्याचार पीड़ितों के लिए राहत</u>

वर्ष 2023 के दौरान, 180 अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि प्रदान की गई थी।

5.18.12 <u>दोषमुक्ति के मामलों में उच्चतर न्यायालयों में दायर अपील</u>

वर्ष 2023 के दौरान, दोषमुक्ति के 22 मामलों में से किसी भी मामले के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील दायर नहीं की गई।

5.19 राजस्थान

5.19.1 समितियां

राज्य स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की 01 बैठक आयोजित की गई।

जिला स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समिति

जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति भी पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान, 33 जिलों में 73 बैठकें आयोजित की गई थीं।

सब डीविजन स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समिति

सब डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां भी पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती हैं। वर्ष 2023 के दौरान बांसवाड़ा जिले में 5 बैठकें आयोजित की गईं थीं।

5.19.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

सिविल अधिकार प्रकोष्ठ पुलिस मुख्यालय में कार्यरत है। इस प्रकोष्ठ को, अन्य बातों के साथ-साथ, अत्याचार के अपराधों की रोकथाम का कार्य सौंपा गया है। इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक हैं तथा यह प्रकोष्ठ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सिविल अधिकार) के पर्यवेक्षण में पुलिस उप महानिरीक्षक (सिविल अधिकार) एवं अन्य स्टाफ के साथ कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त, 33 जिलों में 37 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। पुलिस उप अधीक्षक इन प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं और इन्हें अत्याचार के अपराधों का निपटान करने का कार्य सौंपा गया है।

5.19.3 साठ दिनों के भीतर जांच-पड़ताल और आरोप-पत्र दायर करना

वर्ष 2023 के दौरान, 3835 मामलों में 60 दिन के भीतर न्यायालय में आरोप-पत्र दायर किए गए थे। इसी प्रकार, 5180 मामलों में 60 दिन के बाद आरोप-पत्र दायर किए गए थे।

5.19.4 अधिकारियों की नियुक्ति

क. नोडल अधिकारी

अत्याचार निवारण नियम के नियम 9 के अनुसार श्री रवि कुमार सुरपुर, आई.ए.एस. अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

ख. अत्याचार प्रवण क्षेत्रों वाले जिलों के लिए विशेष अधिकारी

अत्याचार निवारण नियम के नियम 10 के तहत संबंधित जिलों के अपर जिला मजिस्ट्रेटों को विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

5.19.5 अत्याचार प्रणव क्षेत्रों की पहचान

राज्य में 11 जिलों नामत: भरतपुर, गंगानगर, बीकानेर, अलवर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, पाली, धौलपुर, चूरू, सीकर और नागौर को अत्याचार प्रवण के रूप में चिन्हित किया गया है।

5.19.6 विशेष न्यायालय तथा अनन्य विशेष न्यायालय

राज्य के कुल 33 जिलों में से अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर शहर, करौली, कोटा, मेड़ता नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बांसवाड़ा, बाडमेर, डूंगरपुर, जयपुर महानगर I और II में 37 अनन्य विशेष न्यायालयों और विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई हैं। अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई के लिए जयपुर जिला और सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया गया है।

5.19.7 <u>विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक नामित करना</u>

31 अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए 31 अनन्य विशेष लोक अभियोजकों को नामित किया गया था और 03 नामित न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए 03 विशेष सरकारी लोक अभियोजकों को विशेष सरकारी लोक अभियोजकों के रूप में नामित किया गया था।

5.19.8 <u>प्रचार</u>

बुनियादी प्रशिक्षण, पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम और विशेष पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया था। वर्ष 2023 के दौरान, 3261 पुलिस अधिकारियों को भी पीओए अधिनियम और पीओए नियम के उपबंधों के बारे में जागरूक बनाया गया था।

5.19.9 <u>गवाहों और अत्याचार के पीड़ितों को यात्रा एवं भरण-पोषण व्यय</u>

पीओए नियम के नियम 11 के अनुसरण में, अत्याचार पीड़ितों/उनके आश्रितों तथा गवाहों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण-पोषण व्यय प्रदान किया गया था। वर्ष 2023 के दौरान 30 व्यक्तियों को यात्रा एवं भरण-पोषण प्रदान किया गया।

5.19.10 <u>राहत संबंधी उपाय</u>

वर्ष 2023 के दौरान 7308 अत्याचार पीड़ितों को सात दिनों के बाद राहत राशि प्रदान की गई।

5.19.11 <u>कानूनी सहायता</u>

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान, 315 व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान की गई थी।

5.19.12 दोषमुक्ति के मामलों में उच्चतर न्यायालयों में दायर अपील

वर्ष 2023 के दौरान, 2164 मामलों में दोषमुक्ति हुई थी जिनमें से 75 मामलों में उच्चतर न्यायालयों में दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील दायर की गई।

5.20 सिक्किम

5.20.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति

सतर्कता और निगरानी समिति पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए गठित की गई है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान, 06 जिलों में कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

5.20.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

एसएसपी/सीआईडी के पर्यवेक्षण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

5.20.3 अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान

राज्य में ऐसा कोई अत्याचार प्रवण क्षेत्र नहीं है जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ अत्याचार होता हो।

5.20.4 विशेष न्यायालय

पीओए अधिनियम के तहत मामलों के विचारण के लिए जिला और सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया गया है।

5.20.5 विशेष लोक अभियोजक तथा अनन्य विशेष लोक अभियोजक नामित करना

निर्दिष्ट विशेष न्यायालयों में मुकदमें चलाने के लिए आठ विशेष लोक अभियोजक नामित किए गए थे।

5.20.6 साठ दिन के भीतर जांच करना तथा आरोप पत्र दाखिल करना

वर्ष 2023 के दौरान 01 मामले में साठ दिन के भीतर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था और साठ दिनों के बाद किसी भी मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था।

5.20.7 अधिकारियों की नियुक्ति

क. नोडल अधिकारी

कल्याण अधिकारी को पीओए नियमों के नियम 9 के अनुसार नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

ख. विशेष अधिकारी

पीओए नियम, 1995 के नियम 10 के अनुसार प्रत्येक जिले में अपर जिलाधिकारियों को विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

5.20.8 प्रचार और जागरूकता सृजन

पीओए अधिनियम,1989 के प्रावधानों का जनसाधारण की भाषा जैसे नेपाली में अनुवाद किया गया है, जिसका पंचायतों, कलेक्ट्रेट, गैर सरकारी संगठनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों आदि के बीच व्यापक रूप से परिचालित किया गया है और न्यायालयों, पुलिस थानों, जिला और सब डीविजन मुख्यालयों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स लगाकर इसे और भी बेहतर बनाया गया है।

5.20.9 कानूनी सहायता

राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अत्याचार सहित सभी अपराधों के पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू किया है, ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

5.20.10 गवाहों और अत्याचारों के पीड़ितों के लिए यात्रा और भरण-पोषण व्यय

पीओए नियम के नियम 11 के अनुसार, अत्याचार पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और भरण-पोषण व्यय प्रदान किया गया था।

5.21 तमिलनाडु

5.21.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान 01 बैठक आयोजित की गई थी।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने, अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने तथा मामलों के अभियोजन से संबंधित अन्य मसलों पर चर्चा करने हेतु जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों की वर्ष 2023 के दौरान, 38 जिलों में 141 बैठकें सम्पन्न हुई।

सब डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

38 जिलों में सब डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन किया गया है। सभी राजस्व प्रभागों में समितियां शीघ्र गठित करने और नियमित रूप से इनकी बैठकें आयोजित करने के लिए जिला प्राधिकारियों को कड़े अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। वर्ष 2023 के दौरान 152 बैंठकें आयोजित की गईं थी।

5.21.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

पुलिस अपर महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक तथा सहायक पुलिस महानिरीक्षक, सामाजिक न्याय और मानव अधिकार, पीओए अधिनियम के प्रवर्तन की निगरानी और सामाजिक न्याय और मानव अधिकार इकाइयों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करते हैं।

इस अधिनियम का प्रवर्तन 38 जिला मुख्यालयों में स्थित 38 सामाजिक न्याय और मानवाधिकार यूनिटों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सचल स्कॉवड भी हैं जो अत्याचार के मामलों के निवारण एवं पता लगाने का कार्य करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सांख्यिकीय सूचना एकत्र करने के लिए प्रत्येक

यूनिट के साथ एक सांख्यिकी निरीक्षक के साथ सांख्यिकी यूनिट तैनात होता है। सामाजिक न्याय और मानवाधिकार यूनिट के कर्मचारी निरीक्षक (सांख्यिकी) की सहायता करते हैं। पुलिस महानिरीक्षक, सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार चेन्नई पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं तथा सामाजिक न्याय और मानवाधिकार यूनिटों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण भी करते हैं।

5.21.3 साठ दिन के भीतर जांच और आरोप-पत्र दायर करना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 7(2) के अनुसार 886 मामलों में जांच-पड़ताल करके आरोप-पत्र साठ दिन के भीतर दायर किये गये तथा 731 मामलों में जांच-पड़ताल करके आरोप-पत्र साठ दिन के बाद दायर किये गये।

5.21.4 न्याय प्राप्त करने के लिए पीड़ितों तथा गवाहों के अधिकार तथा हकदारियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित स्कीम निर्धारित करना

अधिनियम के अध्याय IVक की धारा 15क की उप-धारा (11) के अनुसार पीड़ितों और गवाहों को न्याय पाने के अधिकारों और हकदारियों को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक मामले के साथ समेकित(compiled) कर दिया गया है।

5.21.5 अत्याचार पीड़ितों को राहत और उनका पुनर्वास

पीओए अधिनियम की धारा 21(2) (iii) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम , 2016 के नियम 12 (4) तथा 12 (4)(क) के अनुसार अत्याचार के अपराध के 52 पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सात दिन के भीतर प्रदान किया गया था और 4020 व्यक्तियों को सात दिन के बाद प्रदान किया गया था।

5.21.6 अधिकारियों की नियुक्ति

क. नोडल अधिकारी

सचिव, आदि द्रविदार तथा जनजातीय कल्याण विभाग को पीओए अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षक और अन्य प्राधिकृत अधिकारियों के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

ख. <u>विशेष अधिकारी</u>

पीओए नियम, 1995 के नियम 10 के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों को प्रत्येक संबंधित जिले में विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

5.21.7 अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में निम्नलिखित अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान की है:-

क्र.सं.	**जिलों और कमिश्नरेटों की कुल संख्या**	**जिले के भीतर ऐसे विशिष्ट क्षेत्र जिन्हें 'अत्याचार प्रवण' क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।**	**ऐसे क्षेत्रों में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए किए गए उपाय**
1.	37 जिले और 09 कमिश्नरेट	37 जिलों में 346 क्षेत्रों की पहचान "अत्याचार-प्रवण" के रूप में की गई है। 09 कमिश्नरेटों में, 48 क्षेत्रों की पहचान "अत्याचार- प्रवण" के रूप में की गई है।	जिलों में सामाजिक न्याय और मानवाधिकार इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाता है और यदि कोई घटना होती है तो उसे लोगों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव मजबूत करने के लिए एहतियाती और निवारक उपाय करने हेतु पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के ध्यान में लाया जाता है। वर्ष 2023 में ऐसे 3200 से अधिक जागरूकता अभियान चलाए गए।

5.21.8 विशेष न्यायालय तथा अनन्य विशेष न्यायालय

निम्नलिखित जिलों अर्थात त्रिची, तंजावुर, मदुरै, तिरुनेलवेली, विल्लुपुरम, शिवगंगई, पुदुकोट्टई, विरुधुनगर (श्रीविल्लिपुथुर), रामनाथपुरम, डिंडीगुल, कुड्डालोर, नमक्कल, थेनी, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर, थूथुकुडी, पेरम्बलुर, कोयंबटूर और सेलम में पीओए अधिनियम के तहत मामलों के शीघ्र निपटान के लिए 19 अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

पीओए अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए 13 जिलों में मौजूदा सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया गया है।

5.21.9 विशेष लोक अभियोजक तथा अनन्य विशेष लोक अभियोजक नामित करना

निर्दिष्ट विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों के संचालन हेतु 32 विशेष लोक अभियोजक नामित किए गए थे।

5.21.10 प्रचार एवं जागरूकता सृजन

पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज तथा तमिलनाडु पुलिस एकेडमी द्वारा जांच अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नियमित रूप से संचालित किए जाते हैं तथा पीओए अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में पुलिस अधिकारियों के मध्य जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक अलग कैप्सूल कोर्स तैयार किया गया था।

वर्ष 2023 के दौरान 3221 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और अधिनियम एवं नियमों के बारे में जागरूक किया गया।

पीओए अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को जागरूक करने के लिए 'समथुवम कानबोम' शीर्षक से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

5.21.11 आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास

पीओए नियम के नियम 12 (4) के अनुसार अत्याचार के पीड़ितों को देय राहत राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 4481 अत्याचार पीड़ितों को राहत प्रदान की गई।

5.21.12 यात्रा और भरण-पोषण व्यय

पीओए नियम के अनुसार पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों को यात्रा और भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाता हैं। वर्ष 2023 के दौरान, 3353 व्यक्तियों को यात्रा तथा भरण-पोषण व्यय प्रदान किया गया था।

5.21.13 कानूनी सहायता

नि:शुल्क विधिक सहायता के अनुरोध वाले सभी मामलों को तमिलनाडु विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से क्रियान्वित नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.21.14 आकस्मिक योजना

आकस्मिक योजना बनाई गई है तथा तमिलनाडु सरकार के राजपत्र 281, दिनांक 01.9.2017 के अंतर्गत अधिसूचित की गई है।

5.21.15 दोषमुक्ति के मामलों में उच्चतर न्यायालयों में दायर अपीलें

वर्ष 2023 के दौरान, दोषमुक्ति वाले 1093 मामलों में से, दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध उच्चतर न्यायालयों में अपील करने के लिए कानूनी राय मांगी गई।

5.22 तेलंगाना

5.22.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति गठित की गई है। वर्ष 2023 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में सभी जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियां कार्य कर रही हैं। वर्ष 2023 के दौरान, राज्य के 33 जिलों में 54 बैठकें सम्पन्न हुई।

सब डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

12 जिलों में सब डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान 33 जिलों में 08 बैठकें हुई थीं।

5.22.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

राज्य स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक (सीआईडी) के नेतृत्व में और अपर पुलिस महानिरीक्षक (सीआईडी) के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में एक विशेष एससी/एसटी संरक्षण प्रकोष्ठ कार्यरत है। राज्य में कुल 30 पुलिस यूनिट हैं अर्थात 09 कमिश्नरेट , 20 पुलिस जिले और 01 रेलवे पुलिस जिला। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों को इन 30 पुलिस यूनिटों द्वारा दर्ज किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अपराध जांच विभाग के 08 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो वारंगल, खम्माम, सायबराबाद, ग्रेटर हैदराबाद, संगारेड्डी, निजामाबाद, महबूबनगर और नलगोंडा जिलों में अवस्थित हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों में पुलिस उप-अधीक्षक पुलिस महानिदेशक, सीआईडी, सीआईडी में पीसीआर सेल का कार्यालय, हैदराबाद द्वारा की गई पूछताछ का कार्य भी देखता है।

5.22.3 अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास

अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 21(2)(iii) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 12(4) एवं 12(4)(क) के अनुसार वर्ष 2023 में अत्याचार के अपराधों के किसी पीड़ित को राहत और पुनर्वास सात दिनों के भीतर प्रदान नहीं किया गया तथा 2483 व्यक्तियों को सात दिनों के बाद राहत एवं पुनर्वास प्रदान किया गया।

5.22.4 साठ दिन के भीतर जांच-पड़ताल करके आरोप-पत्र दायर करना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 7(2) के अनुसार, वर्ष 2023 में 663 मामलों में जांच-पड़ताल करके आरोप-पत्र साठ दिन के भीतर दायर किए गए तथा साठ दिन के बाद 701 मामलों में जांच करके आरोप-पत्र दायर किए गए।

5.22.5 अधिकारियों की नियुक्ति

क. नोडल अधिकारी

पीओए नियम के नियम 9 के तहत जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों के कार्य का समन्वय करने के लिए निदेशक, अनुसूचित जाति विकास विभाग को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

ख. विशेष अधिकारी

अत्याचार प्रवण जिलों के संयुक्त कलेक्टरों /अपर कलेक्टर को विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

5.22.6 अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान

पहचान किए गए अत्याचार प्रवण क्षेत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र. सं.	पहचान किया गया जिला	जिले में अत्याचार प्रवण क्षेत्र के रूप में पहचान किए गए गांवों की संख्या
1.	हैदराबाद कमिश्नरेट	2
2.	साइबराबाद कमिश्नरेट	3

3.	करीमनगर कमिश्नरेट	2
4.	खम्मम कमिश्नरेट	2
5.	निज़ामाबाद कमिश्नरेट	7
6.	राचकोंडा कमिश्नरेट	6
7.	रामागुंडम कमिश्नरेट	7
8.	सिद्दीपेट कमिश्नरेट	1
9.	वारंगल कमिश्नरेट	2
10.	आदिलाबाद	1
11.	भद्राद्रि कोठागुडेम	7
12.	भूपालपल्ली ए.जे. शंकर	2
13.	जगित्याल	2
14.	जोगुलाम्बा गडवाल	1
15.	कामारेड्डी	1
16.	कोमारभीम आसिफाबाद	1
17.	महबूबाबाद	3
18.	महबूबनगर	3
19.	मेडक	1
20.	मुलुगु	1
21.	नगरकुरनूल	1
22.	नलगोंडा	4
23.	नारायणपेट	2
24.	निर्मल	3
25.	संगारेड्डी	1
26.	सिरिसिला राजन्ना	2
27.	सूर्यापेट	2
28.	विकाराबाद	2
29.	वानापर्थी	1
30.	जीआरपी सेक्टर-बैड	0
	कुल	**73**

5.22.7 विशेष न्यायालय तथा अनन्य विशेष न्यायालय

तेलंगाना सरकार ने 10 अनन्य विशेष न्यायालयों नामत: सिकंदराबाद, महबूबनगर, मेडक, संगारेड्डी, कर्मीनगर, निजामाबाद, खम्मम, वारंगल, नलगोंडा,

रंगा रेड्डी और आदिलाबाद के अलावा सभी जिलों में सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया है।

5.22.8 विशेष लोक अभियोजक

पीओए अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, पीओए अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए 10 विशेष न्यायालयों में 10 विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए हैं और अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों के संचालन के लिए 09 अनन्य विशेष लोक अभियोजक नामित किए गए हैं।

5.22.9 जागरुकता सृजन

वर्ष 2023 के दौरान, 3342 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा 7041 पुलिस अधिकारियों और 145465 अन्य अधिकारियों को जागरूक किया गया।

5.22.10 गवाहों और अत्याचार पीड़ितों को यात्रा और भरण-पोषण व्यय

पीओए नियम के अनुसार पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों को यात्रा और भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को यात्रा और भरण-पोषण व्यय प्रदान नहीं किया गया।

5.22.11 राहत और पुनर्वास

पीओए नियम के नियम 12 (4) के अनुसार राज्य सरकार अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि तथा पुनर्वास प्रदान करती है। वर्ष 2023 के दौरान, 2483 व्यक्तियों को राहत प्रदान की गई थी।

5.22.12 कानूनी सहायता

कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी है। वर्ष 2023 के दौरान किसी भी व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई।

5.22.13 दोषमुक्ति के मामलों में उच्चतर न्यायालयों में दायर अपीलें

वर्ष 2023 के दौरान, दोषमुक्ति के 1105 मामलों में से किसी भी मामले में उच्चतर न्यायालयों में दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील दायर नहीं की गई।

5.23 त्रिपुरा

5.23.1 समितियां

राज्य स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2020 को राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं।

सब डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

जिले में सभी सब-डीविजनों में सब डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित की गई हैं।

5.23.2 साठ दिन के भीतर जांच और आरोप पत्र दायर करना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 7(2) के अनुसार 03 मामले में जांच और आरोप पत्र साठ दिन के भीतर दायर किया गया था तथा किसी भी मामले में जांच-पड़ताल करके आरोप-पत्र साठ दिन के बाद दायर नहीं किया गया था।

5.23.3 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

राज्य के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में एससी/एसटी संरक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

5.23.4 अत्याचार प्रवण की पहचान

राज्य में कोई विशिष्ट अत्याचार प्रवण क्षेत्र नहीं है।

5.23.5 विशेष न्यायालय

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की सहमति से राज्य सरकार ने जिला और सत्र न्यायाधीश, पश्चिम त्रिपुरा न्यायिक जिला अगरतला, गोमटी न्यायिक जिला, उदयपुर, दक्षिण त्रिपुरा न्यायिक जिला बेलोनिया, उनाकोटी न्यायिक जिला कैशाहर, उत्तर त्रिपुरा न्यायिक जिला धर्मनगर तथा उनाकोटी जिले के अंतर्गत अपर जिला सत्र न्यायधीश, खोवई, सोनमुपुरा और कमालपुर को पीओए अधिनियम के तहत अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया है।

5.23.6 विशेष लोक अभियोजक तथा अनन्य विशेष लोक अभियोजक को नामित करना

निर्दिष्ट विशेष न्यायालयों में मुकदमे चलाने के लिए आठ विशेष लोक अभियोजक नामित किए गए थे।

5.23.7 आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास

अत्याचार पीड़ितों के लिए यथा संशोधित पीओए नियम, 1995 के अनुसार अत्याचार पीड़ितों को राहत प्रदान की गई थी। वर्ष 2023 के दौरान, किसी भी अत्याचार पीड़ित को राहत प्रदान नहीं की गई।

5.23.8 कानूनी सहायता

त्रिपुरा राज्य में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत, अनुसूचित जातियों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान किसी व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई।

5.24 उत्तर प्रदेश

5.24.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित कर दी गई है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित की गई है। वर्ष 2023 के दौरान 75 जिलों में 136 बैठकें हुई थीं।

5.24.2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

एक विशेष जांच प्रकोष्ठ राज्य स्तर पर कार्यरत है। इस प्रकोष्ठ में, अपर पुलिस महानिदेशक, एक पुलिस महानिरीक्षक, एक पुलिस उपमहानिरीक्षक, एक पुलिस अधीक्षक, एक अपर पुलिस अधीक्षक और नौ पुलिस उप अधीक्षक हैं। सभी जिलों में विशेष जांच प्रकोष्ठ भी स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रत्येक प्रकोष्ठ में एक उप-निरीक्षक, एक हैड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल होते हैं। पुलिस उप-अधीक्षक जांच अधिकारी होते हैं।

5.24.3 साठ दिन के भीतर जांच और आरोप पत्र दायर करना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 7(2) के अनुसार, 11351 मामलों में 60 दिनों के भीतर जांच करके आरोप पत्र दायर किया गया था तथा 829 मामलों में जांच करके आरोप पत्र साठ दिनों के बाद दायर किया गया था।

5.24.4 अत्याचार के पीड़ितों का राहत और पुनर्वास

पीओए अधिनियम की धारा 21 (iii) तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 12 (4) और 12

(4)(क) के अनुसार, अत्याचार के 595 पीड़ितों को सात दिन के भीतर राहत और पुनर्वास प्रदान किया गया और 23146 व्यक्तियों को सात दिनों के बाद प्रदान किया गया था।

5.24.5 <u>अधिकारियों की नियुक्ति</u>

क. <u>नोडल अधिकारी</u>

पीओए अधिनियम की धारा 9 के तहत पीओए अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों एवं अन्य अधिकारियों के कार्यकरण को समन्वित करने हेतु श्री रजनीश चंद्र, विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

ख. <u>विशेष अधिकारी</u>

उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी अत्याचार प्रवण क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है। तथापि, सभी जिलों में जिला मजिस्ट्रेटों को विशेष अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है।

5.24.6 <u>अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान</u>

उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी क्षेत्र की अत्याचार प्रवण क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं की गई है।

5.24.7 <u>विशेष न्यायालय तथा अनन्य विशेष न्यायालय</u>

पीओए अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, औरैया, आज़मगढ़, बलिया, चित्रकूट, फिरोजाबाद, हाथरस, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर (पडरौना), काशीराम नगर (कासगंज), लखीमपुर खीरी, ललितपुर, मथुरा, मऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सोनभद्र, फर्रुखाबाद, उन्नाव, बस्ती, बांदा, इटावा, हमीरपुर, गोण्डा, कानपुर नगर, बदायूं, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बुलन्दशहर, गोरखपुर, वाराणसी, पिलीभीत, एटा, देवरिया, झांसी, अयोध्या, आगरा, कानपुर ग्रामीण, बहराईच, लखनऊ, जालौन (उरई), मेरठ, गाज़ियाबाद, सिद्धार्थ नगर, मिर्ज़ापुर, चंदौली, बलरामपुर, फ़तेहपुर, ग़ाज़ीपुर, मैनपुरी, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, हरदोई, श्रावस्ती, बागपत,

बरेली, अमरोहा, भदोही, बिजनौर, हापुड, महराजगंज, महोबा, रामपुर, सहारनपुर, संभल और शामली जिलों में 74 अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है।

इसके अलावा, शेष 01 जिला (अमेठी) में, पीओए अधिनियम के तहत अत्याचार के अपराधों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया गया है।

5.24.8 <u>विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक नामित करना</u>

74 अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए 74 अनन्य विशेष लोक अभियोजकों को नामित किया गया था और 09 निर्दिष्ट न्यायालयों में मामलों के संचालन के लिए 09 विशेष लोक अभियोजकों को नामित किया गया था।

5.24.9 <u>प्रचार</u>

समय-समय पर यथासंशोधित पीओए अधिनियम और पीओए नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को भी जागरूक किया गया। साथ ही, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में पुलिस अधिकारियों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण भी दिया गया। संशोधित पीओए अधिनियम पर पाठ्यक्रम को भी विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान 28908 पुलिस अधिकारियों को जागरूक किया गया था।

5.24.10 <u>गवाहों तथा अत्याचार पीड़ितों को यात्रा और भरण-पोषण व्यय</u>

अत्याचार निवारण नियम, 1995 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी अत्याचार पीड़ितों को यात्रा और भरण-पोषण व्यय प्रदान किया गया।

5.24.11 <u>आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास</u>

पीओए नियम के प्रावधानों के अनुसार अत्याचार के अपराधों के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2023 के दौरान, 25499 व्यक्तियों को राहत प्रदान की गई।

5.24.12 कानूनी सहायता

राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला प्राधिकरण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।

5.25 उत्तराखंड

5.25.1 समितियां

राज्य स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित की गई है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। वर्ष 2023 के दौरान, 13 जिलों में 42 बैठकें संपन्न की गई थी।

सब डीविजन स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति

सभी सब डीविजनों में सब डीविजन स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान, 13 जिलों के उप-मंडलों में 41 बैठकों का आयोजन किया गया था।

5.25.2 राज्य स्तरीय एससी और एसटी संरक्षण प्रकोष्ठ

प्रत्येक जिले में त्वरित कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में विशेष जांच प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों के मामलों की नियमित रूप से समीक्षा की गई तथा जब कभी ऐसे किसी मामले की सूचना मिली तो उसे पीओए अधिनियम के तहत तत्काल दर्ज किया गया है। इन मामलों की जांच-पड़ताल पुलिस के उप-अधीक्षक द्वारा की गई।

5.25.3 अधिकारी की नियुक्ति

नोडल अधिकारी

निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखंड को पीओए अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु अधिकृत जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों के कार्य को समन्वित करने हेतु नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

5.25.4 साठ दिन के भीतर जांच और आरोप पत्र दायर करना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 7(2) के अनुसार, वर्ष 2023 के लिए 62 मामलों में जांच करके आरोप पत्र साठ दिन के भीतर दायर किए गए थे तथा 14 मामलों में जांच करके आरोप पत्र साठ दिन के बाद दायर किए गए थे।

5.25.5 विशेष न्यायालय

पीओए अधिनियम के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए सभी 13 जिलों में जिला एवं सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है।

5.25.6 विशेष लोक अभियोजक तथा अनन्य विशेष लोक अभियोजक को नामित करना

राज्य में निर्दिष्ट विशेष न्यायालयों में मामलों की सुनवाई के लिए 13 विशेष लोक अभियोजक नामित किए गए।

5.25.7 अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास

पीओए अधिनियम की धारा 21(iii) तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 12(4) और 12(4)(क) के अनुसार, वर्ष 2023 में अत्याचार पीड़ित किसी भी व्यक्ति को सात दिन के भीतर राहत और पुनर्वास सुविधा प्रदान नहीं की गई तथा 64 व्यक्तियों को सात दिन के बाद प्रदान की गई थी।

5.25.8 अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान

इस राज्य में किसी अत्याचार प्रवण क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है।

5.25.9 प्रचार और जागरूकता सृजन

वर्ष 2023 के दौरान 300 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और 6143 पुलिस अधिकारियों तथा 9857 अन्य अधिकारियों को जागरूक किया गया।

5.25.10 आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास

पीओए नियम के प्रावधानों के अनुसार अत्याचार के अपराधों के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान 154 व्यक्तियों को राहत प्रदान की गई थी।

5.25.11 यात्रा और भरण-पोषण व्यय

पीड़ितों, उनके आश्रितों तथा गवाहों को पीओए नियम के अनुसार यात्रा एवं भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023 के दौरान किसी भी व्यक्ति को यात्रा और भरण-पोषण व्यय प्रदान नहीं किया गया।

5.25.12 कानूनी सहायता

संबंधित जिला प्राधिकरणों द्वारा राज्य के सभी जिलों में एससी/एसटी के सदस्यों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान 35 व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान की गई।

5.25.13. दोष-मुक्ति के मामलों में उच्चतर न्यायालयों में दायर अपीलें

वर्ष 2023 के दौरान, दोषमुक्ति के 27 मामलों में से 03 मामलों में उच्चतर न्यायालयों में दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील दायर की गई।

5.26 पश्चिम बंगाल

5.26.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति कार्यरत है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां कार्य कर रही है। वर्ष 2023 के दौरान 38 जिला स्तरीय समितियों की बैठकें आयोजित की गई थी।

सब डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

सब डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां भी कार्य कर रही हैं। वर्ष 2023 के दौरान सब डीविजन स्तरीय समितियों की 19 बैठकें आयोजित की गई थी।

5.26.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण में राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ गठित किया है।

5.26.3 न्याय प्राप्त करने के लिए पीड़ितों तथा गवाहों के अधिकार तथा हकदारियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त स्कीम निर्धारित करना

पीड़ितों तथा गवाहों के अधिकार सुनिश्चित करने तथा धारा 15क की उपधारा 10 में निर्दिष्ट प्रावधान के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने संशोधित पीओए अधिनियम की एक प्रति अनुपालनार्थ सभी जिलों को परिचालित की थी और इसे इस विभाग द्वारा किए गए जागरुकता सृजन/सुग्राहीकरण कार्यक्रम में भी शामिल किया गया था।

5.26.4 साठ दिन के भीतर जांच और आरोप पत्र दायर करना

पीओए अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रत्येक मामले में साठ दिन के भीतर आरोप पत्र दायर किए गए थे।

5.26.5 अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास

पीओए अधिनियम की धारा 21(iii) तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 12(4) और 12(4)(क) के अनुसार, वर्ष 2023 में अत्याचार पीड़ित 319 व्यक्तियों को सात दिन के भीतर राहत और पुनर्वास सुविधा प्रदान की गई तथा किसी भी व्यक्ति को सात दिन के बाद सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।

5.26.6 अधिकारी की नियुक्ति

क. नोडल अधिकारी

अत्याचार निवारण नियम, 1995 के नियम 9 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के कार्यों को समन्वित करने के लिए सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को नोडल अधिकारी नामित किया गया है ।

ख. विशेष अधिकारी

राज्य के किसी जिले की पहचान अत्याचार प्रवण क्षेत्र के रूप में नहीं की गई है। तथापि, पीओए नियम, 1995 के नियम 10 के प्रावधान के अनुसार, हावड़ा जिले को छोडकर सभी जिलों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को विशेष अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है।

5.26.7 अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान

राज्य के किसी जिले में किसी भी क्षेत्र की पहचान अत्याचार प्रवण क्षेत्र के रूप में नहीं की गई है।

5.26.8 विशेष न्यायालय

पीओए अधिनियम के तहत अपराधों के मुकदमे के लिए प्रत्येक जिले में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया गया है। राज्य में अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना नहीं की गई है क्योंकि ऐसा करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी।

5.26.9 विशेष लोक अभियोजक नामित करना

पीओए अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार के अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए सभी जिलों में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है।

सभी जिलों में विशेष न्यायालय में अ.जा. तथा अ.ज.जा. पर अत्याचार के मामलों हेतु विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए हैं।

5.26.10 प्रचार

वर्ष 2023 के दौरान अधिकांश जिलों को शामिल करते हुए 27 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं जिसमें 489 पुलिस अधिकारियों और 4696 अन्य अधिकारियों को जागरूक किया गया।

5.26.11 आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास

वर्ष 2023 के दौरान, सम्बंधित जिला मजिस्ट्रेट की संस्तुति के अनुसार 354 अत्याचारों पीड़ितों को मुआवजा/राहत उपलब्ध करायी गयी।

5.26.12 कानूनी सहायता

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

5.27 चंडीगढ़ प्रशासन

5.27.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति

सचिव, समाज कल्याण, चंडीगढ़ प्रशासन की अध्यक्षता में पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक सतर्कता और निगरानी समिति कार्य कर रही है। वर्ष 2023 के दौरान उक्त समिति की 01 बैठक आयोजित की गई थी।

5.27.2 एससी एवं एसटी संरक्षण प्रकोष्ठ

संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन ने पुलिस महानिदेशक, चंडीगढ़ के पर्यवेक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की है।

5.27.3 अधिकारी की नियुक्ति

क. राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी

पीओए नियम के नियम 9 के अनुसरण में, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के कार्यों को समन्वित करने के लिए सचिव, समाज कल्याण विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

ख. विशेष अधिकारी

यद्यपि संघ राज्य क्षेत्र में कोई अत्याचार प्रवण क्षेत्र नहीं है। तथापि पीओए नियम के नियम 10 के अनुसार निदेशक, समाज कल्याण विभाग को जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय हेतु विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है।

5.27.4 अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में कोई अत्याचार प्रवण क्षेत्र नहीं है।

5.27.5 विशेष न्यायालय

अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई के लिए, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, चंडीगढ़ को विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है।

5.27.6 विशेष लोक अभियोजक तथा अनन्य विशेष लोक अभियोजक नामित करना

उप-जिला अटर्नी/अतिरिक्त लोक अभियोजक चंडीगढ़ को विशेष न्यायालय में मामलों की सुनवाई के लिए लोक अभियोजक नामित किया गया है।

5.27.7 प्रचार एवं जागरूकता

वर्ष 2023 के दौरान, पुलिस अधिकारियों/कर्मियों के मध्य जागरूकता सृजन हेतु समाज कल्याण विभाग, चंडीगढ़ द्वारा 01 प्रचार/जागरुकता कार्यक्रम और पुलिस विभाग, चंडीगढ़ द्वारा भर्ती प्रशिक्षण केंद्र पर 05 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस कार्यशाला में 324 जांच अधिकारियों ने भाग लिया।

5.27.8 आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास

वर्ष 2023 के दौरान अत्याचार पीड़ित 03 व्यक्तियों को पुनर्वास प्रदान किया गया था।

5.27.9 कानूनी सहायता

अनुसूचित जातियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ में नियम तैयार किए गए हैं। राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन, चंडीगढ़ द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

5.28 दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव

5.28.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु संघ राज्य-क्षेत्र स्तर पर एक सतर्कता एवं निगरानी समिति कार्यरत है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती हैं।

5.28.2 60 दिन के भीतर जांच करना और आरोप-पत्र दायर करना

वर्ष 2023 में किसी भी मामले में जांच करके आरोप-पत्र दायर करने का कार्य साठ दिनों के भीतर नहीं किया गया था और 01 मामले में जांच करके आरोप-पत्र दायर करने का कार्य साठ दिनों के बाद किया गया था।

5.28.3 अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान

संघ राज्य-क्षेत्र में कोई अत्याचार प्रवण क्षेत्र नहीं है।

5.28.4 विशेष न्यायालय

जिला एवं सत्र न्यायालय, दादरा एवं नागर हवेली को पीओए अधिनियम के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय नामित किया गया है।

5.28.5 विशेष लोक अभियोजक

पीओए अधिनियम के अंतर्गत मामलों पर कार्रवाई करने के लिए 01 लोक अभियोजक को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है।

5.28.6 प्रचार

पीओए अधिनियम के तहत पुलिसकर्मियों के लिए नियमित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, सैली में संचालित किए जाते हैं जिसमें जागरूकता पर कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2023 के दौरान, 10 पुलिस अधिकारियों को जागरूक किया गया था।

5.29 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

5.29.1 समिति

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति कार्यरत है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

सभी जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान 11 जिलों में 14 बैठकें आयोजित की गईं।

सब डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

सब डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान 11 जिलों के सब डीविजनों में 09 बैठकें आयोजित की गईं।

5.29.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

दिल्ली पुलिस के पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) के पर्यवेक्षण में पुलिस मुख्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

5.29.3 साठ दिनों के भीतर जांच करना तथा आरोप पत्र दायर करना।

वर्ष 2023 में 44 मामलों में साठ दिन के भीतर जांच की गई तथा आरोप-पत्र दायर किया गया तथा 87 मामलों में साठ दिनों के बाद जांच करके आरोप-पत्र दायर किए गए।

5.29.4 अत्याचार पीड़ितों के लिए राहत एवं उनका पुनर्वास

पीओए अधिनियम की धारा 21(2) (iii) और यथासंशोधित पीओए नियम के नियम 12(4) के अनुसार, वर्ष 2023 में 8 मामलों में संबंधित व्यक्तियों को राहत राशि का भुगतान सात दिन के बाद किया गया था।

5.29.5 <u>अधिकारियों की नियुक्ति</u>

क. <u>राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी</u>

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1955 के नियम 9 के अंतर्गत सचिव, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

ख. <u>अत्याचार प्रवण क्षेत्रों वाले जिलों के लिए विशेष अधिकारी</u>

यद्यपि संघ राज्य-क्षेत्र में कोई अभिज्ञात अत्याचार प्रवण क्षेत्र नहीं है, तथापि 11 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को विशेष अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है।

5.29.6 <u>अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान</u>

संघ राज्य-क्षेत्र में कोई अत्याचार प्रवण क्षेत्र नहीं है।

5.29.7 <u>विशेष न्यायालय</u>

अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई के लिए ग्यारह विशेष न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में विनामित किया गया है।

5.29.8 <u>प्रचार और जागरुकता सृजन</u>

वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम-1989 के कार्यान्वयन पर 03 कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें 34 पुलिस अधिकारियों को जागरूक किया गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 के कार्यकरण पर लोक अभियोजकों द्वारा प्रशिक्षुओं को 04 सत्र दिए गए, जहां 10 दानिप्स और 183 सहायक उप-निरीक्षकों को जागरूक किया गया।

5.29.9 <u>आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास</u>

वर्ष 2023 के दौरान, 34 अत्याचार पीड़ितों को राहत प्रदान की गई थी।

5.29.10 <u>कानूनी सहायता</u>

वर्ष 2023 के दौरान 13 व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान की गई।

5.29.11 दोष-मुक्ति के मामलों में उच्चतर न्यायालय में दायर अपीलें

वर्ष 2023 के दौरान, दोषमुक्ति पर समापत हुए 24 मामलों में से किसी के भी विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई।

5.30 जम्मू-कश्मीर

5.30.1 समितियां

राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त सतर्कता और निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए माननीय उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त सतर्कता और निगरानी समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सदस्य सचिव के रूप में जिला विकास आयुक्तों और जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं। वर्ष 2023 के दौरान 50 बैठकें आयोजित की गईं।

सब डीविजन स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियां

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सभी सब डीविजनों में सब डीविजन स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियां गठित की गई हैं।

5.30.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में संघ राज्य-क्षेत्र स्तर पर एससी/एसटी संरक्षण प्रकोष्ठ के गठन का मामला यथा संशोधित पीओए नियमों के नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार गृह विभाग जम्मू-कश्मीर के साथ पहले ही उठाया जा चुका है और यह विचाराधीन है।

5.30.3 साठ दिनों के भीतर जांच करना तथा आरोप-पत्र दायर करना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 7(2) के अनुसार 07 मामलों में साठ दिनों के भीतर जांच करके

आरोप-पत्र दायर किया गया तथा 05 मामलों में जांच करके आरोप-पत्र दायर करने का कार्य साठ दिनों के बाद किया गया था।

5.30.4 <u>अत्याचार पीड़ितों के लिए राहत एवं उनका पुनर्वास</u>

यथासंशोधित अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 21(2)(iii) तथा अत्याचार निवारण नियम के नियम 12(4) के अनुसार, वर्ष 2023 में 14अत्याचार पीड़ितों के मामलों में सात दिनों के भीतर आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास प्रदान किया गया।

5.30.5 <u>अधिकारियों की नियुक्ति</u>

<u>राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी</u>

अनुसूचित जाति कल्याण और विकास सलाहकार बोर्ड के सचिव को जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों तथा अधिनियम के कार्यान्वयन प्रावधानों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के कामकाज के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति कल्याण और विकास सलाहकार बोर्ड जम्मू और कश्मीर के सचिव को विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

5.30.6 <u>अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान</u>

संघ राज्य-क्षेत्र में कोई अत्याचार प्रवण क्षेत्र नहीं है।

5.30.7 <u>विशेष न्यायालय और विशेष लोक अभियोजक</u>

पीओए अधिनियम के तहत अपराधों पर विचारण के लिए संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के प्रत्येक जिले में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया गया है। विशेष न्यायालयों में मामलों के संचालन के लिए 20 विशेष लोक अभियोजक नामित किए गए हैं।

5.30.8 <u>प्रचार और जागरूकता सृजन</u>

वर्ष 2023 के दौरान 98 जागरूकता शिविर और 09 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में 120 पुलिस अधिकारियों, 353 अधिकारियों को जागरूक किया गया और 4873 व्यक्तियों को कवर किया गया।

5.30.9 यात्रा और भरण-पोषण व्यय

पीओए नियम के अनुसार पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों को यात्रा और भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023 में यात्रा और रखरखाव व्यय का भुगतान किसी को भी नहीं किया गया।

5.30.10 कानूनी सहायता

जम्मू और कश्मीर राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित समाज के सभी कमजोर वर्गों के अत्याचारों पीडित व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2023 के दौरान अनुसूचित जाति के 445 व्यक्तियों और अनुसूचित जनजाति के 419 व्यक्तियों तथा अन्य जातियों के 15 व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान की गई।

5.30.11 दोष-मुक्ति के मामलों में उच्चतर न्यायालयों में दायर अपीलें

वर्ष 2023 के दौरान 01 मामला निपटाया गया तथा जम्मू में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की गई।

5.31 लद्दाख

5.31.1 समितियां

संघ राज्य-क्षेत्र स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए माननीय उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में संघ राज्य-क्षेत्र स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति कार्यरत है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए उप-आयुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति गठित की गई है।

सब डीविजन स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियां

सभी सब डीविजनों में सब डीविजन स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं और उन्हें समय-समय पर बैठकें आयोजित कर संघ राज्य-क्षेत्र स्तरीय समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

5.31.2 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सुरक्षा प्रकोष्ठ

लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र में संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सुरक्षा प्रकोष्ठ के गठन का कार्य सौंपा गया है।

5.31.3 अत्याचार प्रवणक्षेत्रों की पहचान

संघ राज्य-क्षेत्र में किसी भी अत्याचार प्रवण क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है।

5.31.4 अधिकारियों की नियुक्ति

नोडल अधिकारी

जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के कार्यकरण के साथ समन्वय के लिए सचिव, सामाजिक एवं जनजाति कल्याण विभाग को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

5.31.5 <u>विशेष न्यायालय</u>

जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने संघ राज्य-क्षेत्र लद्दाख के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पीओए अधिनियम की धारा (14) की उपधारा (1) के प्रावधान के अनुसार विशेष न्यायालय के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया है तथा संघ राज्य-क्षेत्र लद्दाख के विधि विभाग को इस संबंध में आदेश जारी करने को कहा गया है।

5.32 लक्षद्वीप

संघ राज्य-क्षेत्र की पूरी आबादी को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और धार्मिक वर्गीकरण के संदर्भ में, पूरी आबादी मुस्लिम है। इस संघ राज्य-क्षेत्र में अत्याचार के कोई अपराध नहीं हुए हैं। इस प्रकार, वर्ष 2023 की जानकारी को 'शून्य' माना जाए।

5.33 पुदुच्चेरी

5.33.1 समितियां

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए संघ राज्य-क्षेत्र पुदुच्चेरी में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संघ राज्य-क्षेत्र स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की ऐसी एक बैठक आयोजित की गई।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां

जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों का गठन करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

5.33.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

पुदुच्चेरी संघ राज्य-क्षेत्र के तीन अंत:क्षेत्रों नामतः कराईकाल, पुदुच्चेरी तथा यनम में पुलिस अधीक्षक की सीधी निगरानी में पीसीआर प्रकोष्ठ कार्यरत है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) तथा पुलिस महानिदेशक, पुदुच्चेरी पीसीआर के कार्यकलाप की गंभीरता से निगरानी करते हैं।

5.33.3 साठ दिनों के भीतर मामलों की जांच करना तथा आरोप-पत्र दायर करना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 7(2) के अनुसार, वर्ष 2023 में 01 मामले में जांच करके आरोप-पत्र दायर करने का कार्य साठ दिनों के भीतर किया गया तथा 01 मामले में जांच करके आरोप-पत्र दायर करने का कार्य साठ दिनों के बाद किया गया।

5.33.4 अत्याचार पीड़ितों के लिए राहत एवं उनका पुनर्वास

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 12(4) और 12(4)(क) के अनुसार, वर्ष 2023 में अत्याचार के

अपराधों से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को सात दिनों के भीतर राहत प्रदान नहीं की गई और 31 व्यक्तियों को सात दिन के बाद में राहत प्रदान की गई।

5.33.5 अधिकारियों की नियुक्ति

क. नोडल अधिकारी

श्री थिरु आर. केसवन, सचिव, आदि-द्रविड़ार तथा जनजातीय कल्याण विभाग को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

ख. विशेष अधिकारी

पुदुच्चेरी संघ राज्य-क्षेत्र में कोई अभिज्ञात क्षेत्र नहीं है। तथापि, निम्नलिखित अधिकारियों को विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है:

क्र. सं.	विशेष अधिकारी की नियुक्ति	क्षेत्र
1.	निदेशक, आदि-द्रविड़ार कल्याण विभाग, पुदुच्चेरी	पुदुच्चेरी
2.	उप-कलेक्टर, कराईकल	कराईकल
3.	क्षेत्रीय प्रशासक, माहे	माहे
4.	क्षेत्रीय प्रशासक, यनम	यनम

5.33.6 अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान करना

पुदुच्चेरी संघ राज्य-क्षेत्र के किसी क्षेत्र में कोई अत्याचार प्रवण क्षेत्र नहीं है।

5.33.7 विशेष न्यायालय

पीओए अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण हेतु द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय, पुदुच्चेरी को सम्पूर्ण पुदुच्चेरी के लिए विशेष न्यायालय नामित किया गया है।

5.33.8 विशेष लोक अभियोजक का विनिर्देशन

पीओए अधिनियम के अंतर्गत मामलों के विचारण हेतु एक लोक अभियोजक को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है।

5.33.9 अभियोजन निदेशालय

विधि विभाग के नियंत्रण में कार्यरत अभियोजन निदेशालय पीसीआर प्रकोष्ठ और विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा पंजीकृत मामलों के अभियोजन का दिशा-निर्देशन कर रहा है।

5.33.10 कानूनी सहायता

पुदुच्चेरी क्षेत्र में विशेष लोक अभियोजकों और कराईकल एवं यनम क्षेत्रों में सहायक लोक अभियोजकों द्वारा आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है।

5.33.11 यात्रा तथा भरण-पोषण भत्ता

गवाहों को यात्रा तथा दैनिक भत्ता न्यायिक विभाग, पुदुच्चेरी द्वारा प्रदान किया जाता है।

5.33.12 अत्याचार पीड़ितों के लिए राहत एवं पुनर्वास

वर्ष 2023 के दौरान, 31 अत्याचार पीड़ितों को राहत प्रदान की गई।

5.33.13 प्रचार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2023 के दौरान, पुलिस कर्मियों को जागरूक करने के लिए, पीओए अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों की विषय-वस्तु को उनके बुनियादी प्रशिक्षण और पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, पुदुच्चेरी में आयोजित सेवाकालीन पाठ्यक्रमों के दौरान पढ़ाया जाता है और कोई अन्य प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया।

5.34 अन्य राज्य सरकारें

(i) नागालैंड राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य-क्षेत्र ने 'शून्य' सूचना दी है।

(ii) कई अनुस्मारकों के बावजूद, मणिपुर राज्य से वर्ष 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री अभी भी प्रतीक्षित है।

***

अनुबंध-I
(पैरा 3.1)

अनुसूचति जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा यथा संशोधित अनुसूचति जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, के अध्याय-II के अंतर्गत विनामित अत्याचार के अपराध

अत्याचार के अपराध		
अत्याचार के अपराधों के लिए दंड	3. "(1) जो कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होते हुए-	
	(क)	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा;
	(ख)	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा दखलकृत परिसरों में या परिसरों के प्रवेश-द्वार पर मल-मूत्र, मल, पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा;
	(ग)	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानिक करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मल-मूत्र, कूड़ा, पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा;
	(घ)	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्ध-नग्न घुमाएगा;
	(ङ)	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे व्यक्ति के कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुण्डन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना, जो मानव गरिमा के विरूद्ध है;
	(च)	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसको आबंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसको

	आबंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या ऐसी भूमि को अंतरित कराएगा;
	(छ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसरों से गलत तरीके से बेदखल करेगा या किसी भूमि या परिसरों या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा या उसकी फसल को नष्ट करेगा या उसके उत्पाद को ले जाएगा; **स्पष्टीकरण** - खंड (च) और इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सदोष" पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:- (क) व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध; (ख) व्यक्ति की सहमति के बिना; (ग) व्यक्ति की सहमति से, जहां ऐसी सहमति, उस व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध है, मृत्यु या उपहित का भय दिखाकर अभिप्राप्त की गई है; या (घ) ऐसी भूमि के अभिलेखों को बनाना;
	(ज) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को 'बेगार' करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ श्रम करने के लिए तैयार करेगा;
	(झ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु-शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करेगा;
	(ञ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से मैला उठाने के लिए तैयार करेगा या ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्य का नियोजन करेगा या नियोजन को अनुज्ञात करेगा;
	(ट) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री की, किसी देवदासी के रूप में पूजा, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी, मूर्ति या पात्र के समर्पण को

	या वैसी ही किसी अन्य प्रथा का निष्पादन या संवर्धन करेगा या पूर्वोक्त कार्यों को अनुज्ञात करेगा; (ठ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को,- (अ) मतदान न करने अथवा किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा; (आ) किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन फाइल न करने या ऐसे नामनिर्देशन को प्रत्याहृत करने; या (इ) किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के नामनिर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेगा;
	(ड) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को, जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9क के अधीन नगरपालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है, उसके सामान्य कर्तव्यों या कृत्यों के पालन में मजबूर या अभित्रस्त या बाधित करेगा;
	(ढ) मतदान के पश्चात, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उपहति अथवा घोर उपहति कारित करेगा या हमला करेगा या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करेगा या अधिरोपित करने की धमकी देगा या किसी ऐसी लोक सेवा के उपलब्ध फायदों से, निवारित करेगा, जो उसको प्राप्य हैं;
	(ण) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने या विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदान करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा;

	(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करेगा;
	(थ) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देगा जिससे ऐसा लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने या क्षुब्ध करने के लिए करे;
	(द) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा;
	(ध) लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली गलौज करेगा;
	(न) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा सामान्यता धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा; **स्पष्टीकरण** - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वस्तु" पद से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मूर्ति, फोटो और रंगचित्र है;
	(प) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरूद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं की या तो लिखित अथवा मौखिक शब्दों द्वारा या चिह्नों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा, अभिवृद्धि करेगा या अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा;
	(फ) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करेगा;
	(ब) (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री को साशय, यह जानते हुए स्पर्श करेगा कि वह

	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जबकि स्पर्श करने का ऐसा कार्य, कामुक प्रकृति का है और प्राप्तिकर्ता की सहमति के बिना है; (ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री के बारे में, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, कामुक प्रकृति के शब्दों, कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करेगा; **स्पष्टीकरण** - उपखंड (I) के प्रयोजनों के लिए, "सहमति" पद से कोई सुस्पष्ट स्वैच्छिक करार अभिप्रेत है, जब कोई व्यक्ति शब्दों, अंगविक्षेपों या अमौखिक संसूचना के किसी रूप में विनामित कार्य में भागीदारी की रजामंदी को संसूचित करता है: परंतु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई स्त्री, जो कामुक प्रकृति के किसी कार्य में शारीरिक अवरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण लैंगिक क्रियाकलाप में सहमति के रूप में नहीं माना जाएगा: परंतु यह और कि स्त्री का लैंगिक इतिहास, अपराधी के साथ लैंगिक इतिहास सहित, सहमति विवक्षित नहीं करता है या अपराध को कम नहीं करता है;
	(भ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा सामान्यत: उपयोग किए जाने वाले किसी स्रोत, जलाशय या किसी अन्य स्रोत के जल को दूषित या गंदा करेगा जिससे वह ऐसे प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए वह साधारणतया उपयोग किया जाता है;
	(म) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इंकार करेगा या

	ऐसे सदस्य को लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने से निवारित करने के लिए बाधा पहुंचाएगा जिसमें जनता या उसके किसी अन्य वर्ग के सदस्यों को उपयोग करने और पहुंच रखने का अधिकार है;
	(य) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसका गृह, ग्राम या निवास का अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या छुड़वाएगा: परंतु इस खंड की कोई बात किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन में की गई किसी कार्रवाई पर लागू नहीं होगी;
	(यक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीति से बाधित या निवारित करेगा, - (अ) किसी क्षेत्र के सम्मिलित संपत्ति संसाधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या शमशान-भूमि का उपयोग करना या किसी नदी, सरिता स्रोत, कुंआ, तालाब, कुंड, नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नान घाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सड़क या मार्ग का उपयोग करना; (आ) साइकिल या मोटर साइकिल आरोहण या सवारी करना या सार्वजनिक स्थानों में जूते या नए कपड़े पहनना या विवाह की शोभा यात्रा निकालना या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े या किसी अन्य यान पर आरोहण करना; (इ)जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रविष्ट करना या जाटरस सहित किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना या उसको निकालना;

	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या लोक मनोरंजन स्थान या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्ट होने या जनता के लिए खुले किसी स्थान में सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत कोई उपकरण या वस्तुओं का उपयोग करना; या (उ) किसी वृत्ति में व्यवसाय करना या किसी ऐसी आजीविका, व्यापार, कारोबार या किसी नौकरी में नियोजित करना, जिसमें जनता या उसके किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उस तक पहुंच का अधिकार है;
	(यख) जादू-टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा; या
	(यग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसकी धमकी देगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।
अत्याचार के अपराधों के लिए दंड	**3(2)** कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है-
	i) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि इससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा; और यदि अनुसूचित

		जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, मृत्यु दंड से दंडनीय होगा;
	ii)	मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किंतु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा;
	iii)	अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा;
	iv)	अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, यह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से दंडनीय होगा;
	v)	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध [किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित

		जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है] वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से दंडनीय होगा।
	"(vक)	अनुसूची में विनामित कोई अपराध किसी व्यक्ति पर संपत्ति के विरूद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या वह संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन यथा विनामित दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।]
	vi)	यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किये जाने के किसी साक्ष्य को, अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा, या
	vii)	लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।
अत्याचार के अपराधों के लिए दंड		"4. (1) कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों को जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। (2) उपधारा (1) में नामित लोक सेवक के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,-

	(क) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को, सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना; (ख) इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को रजिस्टर करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर करना; (ग) इस प्रकार अभिलिखित की गई सूचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत देना; (घ) पीड़ितों या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना; (ड.) अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में साठ दिन की अवधि के भीतर आरोप-पत्र दायर करना तथा विलंब, यदि कोई हो, लिखित में स्पष्ट करना; (च) किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को सही रूप से तैयार, विरचित करना तथा उसका अनुवाद करना; (छ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनामित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना; परंतु लोक सेवक के विरुद्ध इस संबंध में आरोप, प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर दर्ज किए जाएंगे। (3) लोक सेवक द्वारा उपधारा (2) में नामित कर्तव्य की अवहेलना के संबंध में संज्ञान विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा लिए जाएगा और लोक सेवक के विरुद्ध दांडिक कार्यवाहियों के लिए निदेश दिया जाएगा।"

***

संलग्नक-II (क) (पैरा-3.4)

वर्ष 2023 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत पुलिस द्वारा पंजीकृत अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों के राज्यवार मामले और उनका निपटारा

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	पिछले वर्ष से लंबित मामलों की संख्या	वर्ष 2023 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या	जाँच हेतु पुनः खोले गए मामले	आगे बढ़ाए गए मामलों सहित वर्ष 2023 के दौरान पुलिस के साथ दर्ज मामलों की संख्या	जांच के, दौरान सरकार द्वारा वापस लिए गए मामलों की संख्या	सीआरपीसी की धारा 157(1) (ख) के तहत जांच नहीं किए गए मामले	अन्य राज्य/एजेंसी को अंतरित मामले	अंतिम रिपोर्ट (यथा वर्ष के दौरान गलत, तथ्य/कानून की गलती, सत्य लेकिन अपर्याप्त साक्ष्य आदि)	न्यायालयों में चार्जशीट किए गए मामलों की संख्या	जांच के चरण में ही रद्द कर दिए गए मामले	वर्ष 2023 के अंत तक पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1622	1966	1	3589	0	0	0	362	1439	1	1787
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	28	1	0	29	0	0	0	17	2	0	10
4.	बिहार	6742	7063	43	13848	0	0	0	1499	8341	0	4008
5.	छत्तीसगढ	70	250	0	320	0	0	0	0	252	0	68
6.	गोवा	1	3	0	4	0	0	0	0	3	0	1
7.	गुजरात	341	1356	0	1697	0	0	0	28	1270	59	340
8.	हरियाणा	349	1401	0	1750	0	0	0	629	777	2	342
9.	हिमाचल प्रदेश	5	23	0	28	0	0	0	6	17	0	5
10.	झारखंड	606	348	0	954	0	0	0	185	180	0	589
11.	कर्नाटक	602	1884	0	2486	0	0	30	336	1687	6	427
12.	केरल	289	1093	5	1387	0	0	0	195	932	4	256
13.	मध्य प्रदेश	596	8227	0	8823	0	0	0	25	8025	4	769
14.	महाराष्ट्र	1120	2684	0	3804	0	0	1	167	2500	2	1134
15.	मणिपुर	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
16.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	ओडिशा	158	2696	0	2854	0	0	0	34	2778	0	42
20.	पंजाब	195	79	2	276	0	0	0	30	76	4	166
21.	राजस्थान	1263	8322	0	9585	0	1	0	4274	3448	1	1861
22.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	931	1853	1	2785	0	0	0	320	1459	9	997
24.	तेलंगाना	753	1652	4	2409	0	0	2	366	1116	3	922
25.	त्रिपुरा	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
26.	उत्तर प्रदेश	1276	12359	0	13635	0	0	1	1780	11028	0	826
27.	उत्तराखंड	34	40	0	74	0	0	0	15	38	0	21
28.	पश्चिम बंगाल	65	72	0	137	0	0	0	6	71	0	60
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0
31.	दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
32.	दिल्ली	107	42	0	149	0	0	0	2	45	0	102
33.	जम्मू और कश्मीर	3	2	0	5	0	0	0	2	0	0	3
34.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	5	4	0	9	0	0	0	0	2	0	7
	कुल	17166	53421	56	70643	0	1	34	10278	45487	96	14747

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

संलग्नक-II (ख) (पैरा-3.4)

वर्ष 2023 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत पुलिस द्वारा पंजीकृत अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के राज्यवार मामले और उनका निपटान

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	पिछले वर्ष से लंबित मामलों की संख्या	वर्ष 2023 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या	जाँच हेतु पुनः खोले गए मामले	आगे बढ़ाए गए मामलों सहित वर्ष 2023 के दौरान पुलिस के साथ दर्ज मामलों की संख्या	जांच के दौरान सरकार द्वारा वापस लिए गए मामलों की संख्या	सीआरपीसी की धारा 157(1) (ख) के तहत जांच नहीं किए गए मामले	अन्य राज्य/एजेंसी को अंतरित मामले	अंतिम रिपोर्ट (यथा वर्ष के दौरान गलत, तथ्य/कानून की गलती, सत्य लेकिन अपर्याप्त साक्ष्य आदि)	न्यायालयों में चार्जशीट किए गए मामलों की संख्या	जांच के चरण में ही रद्द कर दिए गए मामले	वर्ष 2023 के अंत में पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	365	347	0	712	0	0	0	67	286	0	359
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3.	असम	17	0	0	17	0	0	0	6	3	0	8
4.	बिहार	95	114	0	209	0	0	0	17	124	0	68
5.	छत्तीसगढ	74	335	0	409	0	0	0	2	340	0	67
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	118	304	0	422	0	0	0	3	294	8	117
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	झारखंड	292	164	0	456	0	0	0	46	73	0	337
11.	कर्नाटक	143	432	0	575	0	0	12	59	398	0	106
12.	केरल	59	180	2	241	0	0	1	28	166	0	46
13.	मध्य प्रदेश	289	2840	0	3129	0	0	0	44	2709	0	376
14.	महाराष्ट्र	365	717	0	1082	0	0	1	59	632	0	390
15.	मणिपुर	6	2916	0	2922	0	0	0	19	5	0	2898
16.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	21	0	21	0	0	0	0	19	0	2
18.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	ओडिशा	44	662	0	706	0	0	0	8	696	0	2
20.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	राजस्थान	460	2403	0	2863	0	1	0	1256	930	1	675
22.	सिक्किम	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
23.	तमिलनाडु	25	47	0	72	0	0	0	1	45	0	26
24.	तेलंगाना	232	557	1	790	0	0	0	119	394	2	275
25.	त्रिपुरा	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	1
26.	उत्तर प्रदेश	0	2	0	2	0	0	0	1	1	0	0
27.	उत्तराखंड	4	0	0	4	0	0	0	0	1	0	3
28.	पश्चिम बंगाल	110	66	0	176	0	0	0	4	70	0	102
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दिल्ली	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
33.	जम्मू और कश्मीर	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
34.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	2701	12111	3	14815	0	1	14	1740	7186	11	5863

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

संलग्नक -III (क) (पैरा-3.5)

वर्ष 2023 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत न्यायालयों में लंबित अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचार के राज्यवार मामले

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	पिछले वर्ष से लंबित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान विचारण के लिए प्राप्त मामलों की संख्या	वर्ष 2023 में आगे बढ़ाए गए मामलों सहित न्यायालयों में मामलों की संख्या	निरस्त/वापस ले लिए गए/स्थगित/दलील/रद्द कर दिए गए मामले	मामलों की संख्या जिनमें		वर्ष 2023 के अंत तक न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या
						दोषी ठहराया गया	दोषमुक्त अथवा रिहाई कर दी गई	
1.	आंध्र प्रदेश	6611	1439	8050	14	26	744	7266
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	0	2	0	0	0	2
3.	असम	8	2	10	0	0	0	10
4.	बिहार	43795	8341	52136	0	177	413	51546
5.	छत्तीसगढ	1614	252	1866	0	76	94	1696
6.	गोवा	13	3	16	0	0	0	16
7.	गुजरात	11347	1270	12617	7	44	497	12069
8.	हरियाणा	3033	777	3810	4	68	270	3468
9.	हिमाचल प्रदेश	145	17	162	3	7	24	128
10.	झारखंड	1208	180	1388	3	14	33	1338
11.	कर्नाटक	6355	1687	8042	8	22	376	7636
12.	केरल	4198	932	5130	57	99	634	4340
13.	मध्य प्रदेश	34304	8025	42329	7	1055	3836	37431
14.	महाराष्ट्र	12487	2500	14987	28	86	802	14071
15.	मणिपुर	3	0	3	0	0	0	3
16.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
17.	मिज़ोरम	5	0	5	0	0	0	5
18.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
19.	ओडिशा.	16371	2778	19149	0	0	370	18779
20.	पंजाब	296	76	372	3	5	32	332
21.	राजस्थान	20192	3448	23640	7	1435	853	21345
22.	सिक्किम	2	0	2	0	0	0	2
23.	तमिलनाडु	5058	1459	6517	20	94	728	5675
24.	तेलंगाना	6384	1116	7500	13	34	756	6697
25.	त्रिपुरा	1	0	1	0	0	0	1
26.	उत्तर प्रदेश	59065	11028	70093	81	1448	945	67619
27.	उत्तराखंड	304	38	342	0	0	0	342
28.	पश्चिम बंगाल	703	71	774	0	1	36	737
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	1	1	2	0	0	0	2
31.	दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव	1	0	1	0	0	0	1
32.	दिल्ली	205	45	250	1	12	25	212
33.	जम्मू और कश्मीर	4	0	4	0	0	0	4
34.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	28	2	30	0	0	0	30
	कुल	233743	45487	279230	256	4703	11468	262803

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

वर्ष 2023 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत न्यायालयों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचार के मामलों के राज्यवार मामले।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले वर्ष से लंबित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान परीक्षण के लिए प्राप्त मामलों की संख्या	वर्ष 2023 में आगे बढ़ाए गए मामलों सहित न्यायालयों में मामलों की संख्या	निरस्त/वापस ले लिए गए/ स्थगित/दलील/रद्द कर दिए गए मामले	मामलों की संख्या जिनमें: दोषी ठहराया गया	मामलों की संख्या जिनमें: दोषमुक्त अथवा रिहाई कर दी गई	वर्ष 2023 के अंत तक न्यायालयों के पास लंबित मामलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1201	286	1487	8	5	116	1358
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	50	3	53	0	0	11	42
4.	बिहार	426	124	550	0	2	0	548
5.	छत्तीसगढ	2578	340	2918	0	64	142	2712
6.	गोवा	13	0	13	0	0	0	13
7.	गुजरात	2645	294	2939	2	15	110	2812
8.	हरियाणा	1	0	1	0	0	0	1
9.	हिमाचल प्रदेश	4	0	4	0	0	2	2
10.	झारखंड	578	73	651	0	2	13	636
11.	कर्नाटक	1387	398	1785	3	2	121	1659
12.	केरल	676	166	842	4	19	134	685
13.	मध्य प्रदेश	13129	2709	15838	2	406	1077	14353
14.	महाराष्ट्र	3662	632	4294	4	35	221	4034
15.	मणिपुर	3	5	8	0	0	0	8
16.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
17.	मिजोरम	26	19	45	0	0	0	45
18.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
19.	ओडिशा	5524	696	6220	0	0	27	6193
20.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0
21.	राजस्थान	5326	930	6256	3	298	248	5707
22.	सिक्किम	3	0	3	0	0	2	1
23.	तमिलनाडु	146	45	191	1	0	11	179
24.	तेलंगाना	1846	394	2240	9	21	253	1957
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	1053	1	1054	2	0	0	1052
27.	उत्तराखंड	35	1	36	0	0	0	36
28.	पश्चिम बंगाल	451	70	521	0	5	35	481
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	28	0	28	0	0	0	28
30.	चंडीगढ	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव	3	0	3	0	0	0	3
32.	दिल्ली	8	0	8	0	0	1	7
33.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0
34.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**40802**	**7186**	**47988**	**38**	**874**	**2524**	**44552**

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

संलग्नक-IV

(पैरा 4.1.1)

वर्ष 2023-24 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी केंद्रीय सहायता का ब्यौरा।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अन्य	जारी की गई केंद्रीय सहायता (रु. लाख में)
1.	आंध्र प्रदेश	1467.41
2.	असम	54.37
3.	बिहार	3762.81
4.	छत्तीसगढ	1337.53
5.	गोवा	24.62
6.	गुजरात	2980.87
7.	हरियाणा	2943.04
8.	हिमाचल प्रदेश	260.52
9.	झारखंड	81.35
10.	कर्नाटक	4000.37
11.	केरल	1131.75
12.	मध्य प्रदेश	6348.53
13.	महाराष्ट्र	3727.65
14.	ओडिशा	5802.79
15.	राजस्थान	4255.34
16.	सिक्किम	4.66
17.	तमिलनाडु	3659.45
18.	तेलंगाना	899.54
19.	त्रिपुरा	11.03
20.	उत्तर प्रदेश	9795.35
21.	उत्तराखंड	100.49
22.	पश्चिम बंगाल	369.19
23.	चंडीगढ़	173.00
24.	दिल्ली	18.00
25.	पुदुचेरी	138.76
26.	अन्य व्यय	181.60
	कुल	**53530.02**